



कार्यालय प्राचार्य
स्व. डारन बाई तारम शासकीय महाविद्यालय गुरुर
जिला – बालोद, छ.ग, भारत
(हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्गा, छत्तीसगढ़, भारत से संबद्ध)

Ph No : 07749 – 265461

Email : gururgovernmentcollege@gmail.com

gcgurur.org.in



Website :

6.3.1:- The institution has effective welfare measures for teaching and non-teaching staff

Response- The Government institute provides all the facilities approved by the state government. There are various types of welfare schemes for the employees of the Chhattisgarh government, the benefits of which are available to every teaching and non-teaching staff.

Various welfare schemes are as follows-

Career Advancement Schemes:- for faculties members to gain higher education qualifications such as M.Phil and Ph.D.

DA:- Daily Allowance provided to regular teaching and non-teaching staff.

LTC for hometown: for teaching and non-teaching staff.

HRA:- House Rent allowance provided to regular teaching and non-teaching staff.

TA:- Traveling allowance is provided to staff according to state government rules.

Loan: provided by the state government to buy house/ construction and festival advance salary and bonus.

Double work allowance: to provide state government extra work on an additional amount other than salary

Computer Allowance:- A computer allowance is provided to clerical staff who get a minimum one-year computer certificate.

Uniform allowance:- Uniform allowances are provided to class IV employees as per the government rule.

Honoraria: According to the parent University rule Honoria is Provided to staff who work in the annual examination at the examination center.

Medical leave:- Facility.

Medical bill reimbursement:- provided to staff as per state government rules.

Leave:- There are provisions for, study leave, maternity leave/ paternity leave, and Duty leave as applicable.

Casual leave:- 13 Days for Faculty Staff and non-teaching staff who get every Saturday leave.

Other leave:- Earned leave, Half-pay leave, commuted leave not due, extraordinary leave, special Disability leave provided to staff according to state government rules.

Every Saturday leave:- for non-teaching staff leave.

Pension/Family Pension Scheme:- For teaching and non-teaching Staff available options are NPS and OPS.

GPF/CPF/DPF:- for teaching and non-teaching staff.

Leave encashment:- for Teaching and non-teaching staff.

GIS and Gratuity: Regular teaching and non-teaching staff are Covered under the Group Insurance Scheme and they are entitled to gratuity at the time of retirement.

Compassionate appointment:- Appointment offered to one of the family members after the sudden death of the staff in service as per government rules.

Advance:- The college gives advances to staff under inevitable circumstances as per government rules.

Transfer Policy:- Regular Staff can transfer to other Government colleges in Chhattisgarh according to the State government transfer policy.

TA:- Traveling allowances to the family for going to the home town on the death of the employee.

In case of the death of a government servant on duty, immediate assistance to the family.

Waiver of an outstanding amount of house construction advance and interest payable thereon in case of death during service.

HA:- For teaching and non-teaching staff.

Facilities and amenities

Wi-Fi facility

Well- Furnished staff rooms

Separate department

Book bank Facility by library

CC TV cameras to ensure safety and security

Fire safety equipment.

First Aid Facility

Parking Facility

Yearly increment and financial support for academic activities

Canteen Facilities

tier promotion policy

R.O. drinking water

Festival advance for class III & IV employees.

Washrooms for male and female staff

Parking for staff and students

tier time scale salary benefit

Link:- [538_698_Ordinance 5 Durg.pdf \(gcgurur.org.in\)](https://gcgurur.org.in/538_698_Ordinance_5_Durg.pdf)



हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : exam@durguniversity.ac.in

वेब साइट : www.durguniversity.ac.in

दूरभाष : 0788-2359300

क्र. 1404 / परीक्षा / 2019

दुर्ग, दिनांक 13.09.2019

!! अधिसूचना !!

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 26वीं बैठक दिनांक 13.09.2019 में प्रस्ताव क्रमांक 04 में Ordinance No. 5 Conduct of Examinations (APPENDIX : Remuneration for Examination Work) का अनुमोदन किया गया है जो निम्नानुसार है:-

APPENDIX

REMUNERATION FOR EXAMINATION WORK

			Approved Rate in Rs.
1.	The Scale of Remuneration of paper setter / examiners as follows viz:-		
(i)	For Ph.D., D.Sc. & D.Lit. examiners:		
(a)	Reading a Thesis for Ph.D.		2500
(b)	Practical and Viva-Voce examination for Ph.D.		1500
(c)	Reading a Thesis for D.Sc. or D. Litt.		3500
(d)	Practical and Viva-Voce examination for D.Sc. or D.Lit		1500
(ii)	For M.Phil, PG and PG Diploma Examinations:		
(a)	Setting a Question Paper	New pattern With answer key	2000
		Without answer key	1800
		Old Pattern	1000
(b)	Valuation of answer book	New pattern	25 (Min. 200)
		Old Pattern	15 (Min. 100)
(c)	(1) Reading the Thesis/Dissertation and Viva-Voce of a candidate for PG & PG Diploma Examination		120
	(2) Reading a project report/field work/field report of a candidate for PG & PG Diploma Examination		120
	(3) M. Phil Dissertation/Project Report Valuation and Viva-Voce.		100+50
(d)	Viva-Voce/Practical Examination of each candidate		15 (Min.500)
(iii)	For UG Examinations:		
(a)	Setting a Question Paper		900
(b)	Valuation of answer book		15 (Min. 100)
(c)	Conducting Practical Examination per Candidate to each Internal and External Examiners per Centre.		12 (Min. 500)

(iv) All Diploma/Certificate Courses:		
(a)	Setting a Question Paper	600
(b)	Valuation of each answer book	15 (Min. Rs.100)
(c)	Conducting Practical Examination of each candidate	12 (Min. Rs. 400)
(v) Miscellaneous:		
(a)	Remuneration to Head examiners per valuation day. This fee includes remuneration for drafting of instructions, issue of models etc. No. separate fee to be paid for drafting of instructions.	400
(b)	Drafting detailed memorandum of instructions for Co-examiners (Where no model answer are sent by head examiner and the answer books examined by Co-examiners are not re-examined by head examiner)	600
(c)	For supplying more than two but not exceeding six copies of question papers in addition to the required number of two.	100
(d)	For translation of paper from English to Hindi medium or other Indian Language and Vice-Versa.	200
Note :-		
(a)	If a paper is set by two examiners the remuneration shall be divided equally between them excepting in B.Ed.	
(b)	If a paper for an examination consists of two sections, both of which are compulsory, the remuneration payable for examine each answer book in a section shall be half the remuneration prescribed for examining each answer book in the full paper.	
(c)	(1) The answer books weighing two or more than two or more than two kilograms will be sent by the examiners to the university by railway and the railway freight charged thus incurred by the examiner in sending the packets will be paid by the university.	
	(2) The actual postal expenses incurred by the examiners in sending the packets of answer book less than two kilogram and also the award list to the university shall be paid by the university.	
	(3) Amount payable to the local examiners for bringing or sending the answer-books and award lists to the university shall be	Rs. 100
(d)	Remuneration for re-examination of answer book (for revaluation) to each examiner	40 Rs. (Min.Rs. 100.00)

- 2. THE FOLLOWING SHALL BE THE RATES OF REMUNERATIONS FOR THE WORK RELATING TO DECLARATION OF RESULTS AND ISSUE OF STATEMENT OF MARKS OBTAINED EXAMINEES VIZ:-**
- | | |
|---|--------------------|
| (i) (a) Tabulation of result per hundred candidates | 100
(Min. 100.) |
| (b) Collation of results per hundred candidates | 80
(Min. 80) |
| (c) Checking /Scrutinizing per hundred candidates | 40
(Min. 40) |
| (ii) For writing of statement of marks-each marks sheet. | 1 |
| (iii) For Checking / Scrutinizing of statement of marks- each mark sheet | 1 |
| (iv) For writing of each Degree /Diploma / Certificate | 5 |
| (v) For Checking / Scrutinizing of Degree/Diploma/Certificate - each Checker/scrutinizer. | 2 |
- 3. Maximum remuneration that a single person shall be entitled to draw from the university in respect of one academic session for any or all of the work mentioned under paragraph 1 above shall be Rs. 50000**
- (All excess amount over and above the said limit shall lapse to the university.*)
 * Provided that where sufficient numbers of examiners are not available in any subject, the Vice-Chancellor may relax the maximum limit by Rs. 10000/- for reasons to be recorded in writing.
- 4. Unless specially permitted, deduction shall be made from the remuneration bills on account of the following :-**
- | | |
|---|----|
| (i) Delay in dispatch of foil/counter foils or marks to be the Registrar for each day of delay. | 15 |
| (ii) Delay in return of answer books for each day of delay Rs. | 15 |
| (iii) Delay in the dispatch of the report on the examination for each day of delay Rs. | 15 |
| (iv) Entry of marks against wrong Roll Number- per mistake Rs. | 15 |
| (v) Wrong entry of marks (e.g. 35 instead of 25)- per mistake Rs. | 15 |
| (vi) If marks in award list differ from those shown on the answer books- per mistake Rs. | 20 |
| (vii) Omission to enter marks in award list although answer books sent- per mistake Rs. | 15 |
| (viii) Omission to mark a question or part of question - per mistake Rs. | 15 |
| (ix) Mistake in totaling of marks- per mistake Rs. | 15 |
- Note :-**
- | | |
|---|----|
| (a) If any examiner commits more than three mistakes under any of the categories mentioned in the foregoing paragraph or if any examiner commits mistake or mistakes by which the result of a candidate is affected, his work shall be deemed as unsatisfactory and the matter may be placed before the Executive Council for any action deemed proper. | |
| (b) Deductions from the bill of tabulators for each mistake made by the tabulator shall be | 15 |

5. THE FOLLOWING SHALL BE THE RATES OF REMUNERATION PAYABLE TO PERSONS ENGAGED IN WORK RELATING TO UNIVERSITY EXAMINATION A CENTRE VIZ :-

(A) THEORY

(a) Senior Superintendent (Principle): Per Shift (presence of the principal during the entire period of examination)	300 (Max. 500 per day)
(b) Superintendent: Per Shift	200 (Max. 400 per day)
(c) Assistant Superintendent: Per Shift	150 (Max. 300 per day)
(d) Invigilator : Per Shift	120
(e) Class III and Class IV staff of the college./Deptt. engaged in examination work at a centre (per candidate for the total number of the candidate actually admitted to the examination at the centre to be distributed by the Centre Superintendent.)	6 and 4 respectively
(f) Lumpsum grant payable (per candidate registered) to the examination center to cover expences on all contingent items. (The Principal/Head of the concerned, institution shall send a utilization certificate in this respect to the university.)	6 (Min. Rs. 1500 per centre.)

(B) PRACTICAL :

Laboratory staff engaged in connection with practical examinations- (per candidate for the total number of the candidate actually admitted to the examination at the centre.)	6
---	---

(C) Others:

(a) Forwarding of examination form (Officer and his staff per application form Forwarded.)	30
(b) For supplying all necessary materials for practical examination (in subjects where needed) Science and Home Science Namely vegetables, chemical, dissection, animals, plant, raw material etc., the principal of the college concerned will be paid contingent charges for per candidate actually appeared in the examination. For which Principal will have to issue an official receipt.	UG Exam. 2 PG Exam. 4

6. In case of a work for which no remuneration has been prescribed in The foregoing paragraphs, the rate therefore shall be determined by the Kulpati.

S.No.	Nature of Confidential Work	Item ordinance 5-17 to which this work is considered EQUIVALENT	Revised rates of Remuneration
1.	To prepare the list of carry forward marks of candidates appearing for various examinations.	Writing of statement marks.	Per candidate
2.	Corrections in chart (including corrections for declaration of withheld results)	Writing of statement marks.	Per candidate
3.	To put the correct Roll Nos. on award for practical's	Collection of Results	Per candidate
4.	To write the foils and counter foils for marks awarded in Central Valuation.	Collation of Result	Per candidate
5.	Posting of UFM and Revaluation cases & declaration of their results.	Tabulation	Per candidate
6.	Scrutiny of Answer Books.	-	Per candidate

Note :- The Above rates shall apply from the semester examination December 2018

आदेशानुसार,



कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पु.क्र. 1405/परीक्षा/2019
प्रतिलिपि:-

दुर्ग, दिनांक : 29/07/2019

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
- सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।
- प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
- समस्त विभागीय अधिकारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ।


उपकुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940

No. 271]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018

सं. एफ. 1-2/2017 (ईसी/पीएस).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 14 के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (झ) के खंड (ड.) और (छ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2010" (विनियम सं. एफ 3-1/2009 दिनांक 30 जून, 2010) तथा समय-समय पर इनमें किए गए सभी संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एतद्वारा निम्नलिखित विनियमों को तैयार करता है, नामतः—

1. लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन:

- 1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 कहा जाएगा।
- 1.2 ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (झ) के तहत संबंधित विश्वविद्यालय के साथ परामर्श कर किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम, अथवा किसी राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित अथवा निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय, आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संघटित अथवा संबद्ध महाविद्यालय सहित प्रत्येक संस्थान और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रत्येक सम विश्वविद्यालय संस्थान पर लागू होंगे।
- 1.3 यह विनियम अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।
2. उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के एक उपाय के रूप में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों, पुस्तकाध्यक्षों और निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की नियुक्ति और अन्य सेवा शर्तों की न्यूनतम अर्हताएं इन विनियमों के अनुबंध में दी जाएंगी।
3. यदि कोई विश्वविद्यालय इन विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो ऐसे उल्लंघन किए जाने अथवा इस प्रकार उपबंधों का पालन करने में असफल रहने पर उक्त विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कारण, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए आयोग, अपनी निधियों में से विश्वविद्यालय को प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित अनुदानों को रोक सकता है।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940

No. 271]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018

सं. एफ. 1-2/2017 (ईसी/पीएस).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 14 के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (झ) के खंड (ड.) और (छ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2010" (विनियम सं. एफ 3-1/2009 दिनांक 30 जून, 2010) तथा समय-समय पर इनमें किए गए सभी संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एतद्वारा निम्नलिखित विनियमों को तैयार करता है, नामतः—

1. लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन:

- 1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 कहा जाएगा।
- 1.2 ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (झ) के तहत संबंधित विश्वविद्यालय के साथ परामर्श कर किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम, अथवा किसी राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित अथवा निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय, आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संघटित अथवा संबद्ध महाविद्यालय सहित प्रत्येक संस्थान और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रत्येक सम विश्वविद्यालय संस्थान पर लागू होंगे।
- 1.3 यह विनियम अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।
2. उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के एक उपाय के रूप में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों, पुस्तकाध्यक्षों और निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की नियुक्ति और अन्य सेवा शर्तों की न्यूनतम अर्हताएं इन विनियमों के अनुबंध में दी जाएंगी।
3. यदि कोई विश्वविद्यालय इन विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो ऐसे उल्लंघन किए जाने अथवा इस प्रकार उपबंधों का पालन करने में असफल रहने पर उक्त विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कारण, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए आयोग, अपनी निधियों में से विश्वविद्यालय को प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित अनुदानों को रोक सकता है।

क्षेत्रों के लिए आयोजित किए जा रहे संगोष्ठियों, कार्यशालाओं पर इन विनियमों के तहत कैरियर उन्नति योजना में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में विचार किया जाएगा।

19.0 अन्य निबंधन और शर्तें

19.1 पीएचडी / एमफिल और अन्य उच्चतर शिक्षा हेतु प्रोत्साहन

- i. जिन अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दाखिला, पंजीकरण, कोर्स- वर्क और बाह्य मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुपालन करके संबंधित विषय में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है, वे सहायक आचार्य के रूप में भर्ती के प्रवेश स्तर पर प्रदान की जाने वाली वेतन वृद्धि में पाँच गैर- मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
- ii. सहायक आचार्य के पद पर भर्ती के समय एमफिल उपाधि धारक दो गैर- मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
- iii. जिन शिक्षकों के पास एलएलएम/ एम.टेक/ एम.आर्क/ एम.ई/ एम.वी.एससी/ एम.डी., आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की उपाधि है जिन्हें संबंधित सांविधिक निकाय/ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है वे भी प्रवेश स्तर पर दो गैर- मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
- iv.
 - (क) जो शिक्षक सेवा के दौरान पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं वे तभी प्रवेश स्तर पर तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे यदि पीएचडी, रोजगार से सम्बंधित विषय में की गई है और जो विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन, कोर्स- वर्क, मूल्यांकन आदि हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके प्रदान की गई हो।
 - (ख) तथापि, उन सेवारत शिक्षकों को जिन्हें इन विनियमों के लागू होने के समय से पहले ही पीएचडी की उपाधि प्रदान कर दी गई है या पीएचडी में नामांकन हो गया हो, जो कोर्स- वर्क और मूल्यांकन पूरा कर चुके हों, यदि कोई हो तो, और पीएचडी की उपाधि प्रदान करने के संबंध में केवल अधिसूचना जारी की गई हो, तो वे भी प्रवेश स्तर पर तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे, चाहे, पीएचडी की उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।
 - v. अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, वे शिक्षक जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित हैं वे उस स्थिति में भी प्रवेश स्तर पर तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स- वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसा भी मामला हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।
 - vi. ऐसे सेवारत शिक्षक जिनका अभी पीएचडी में नामांकन नहीं हुआ है, को प्रवेश स्तर पर तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि का लाभ तभी प्राप्त होगा जब वे सेवा में रहते हुए पीएचडी की उपाधि प्राप्त करें और उक्त नामांकन ऐसे विश्वविद्यालय में होना चाहिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नामांकन सहित सम्पूर्ण प्रक्रिया का अनुपालन करता हो।
 - vii. ऐसे शिक्षक, जो सेवा के दौरान व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एमफिल उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते हैं जिन्हें संबंधित सांविधिक निकाय/ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो, भी केवल प्रवेश स्तर पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
 - viii. ऐसे सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष जिनके पास प्रवेश स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान में पुस्तकालय विज्ञान की विद्या में ऐसे विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हो, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में पी.एच.डी. प्रदान करने के लिए नामांकन, कोर्स- वर्क, और मूल्यांकन के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का पालन करता हो, वे पांच गैर- मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
 - ix. (क) सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष जो सेवकाल के दौरान कभी भी पुस्तकालय विज्ञान में ऐसे विश्वविद्यालय से जो नामांकन, कोर्स- वर्क, और मूल्यांकन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करता हो, से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं वे केवल प्रवेश स्तर पर लागू वृद्धि में तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
 - (ख) तथापि, ऐसे शिक्षक, जो सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष या उच्च पदों पर आसीन हैं, जिन्होंने इन विनियमों के लागू होने से पूर्व पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली है या पहले ही कोर्स वर्क और मूल्यांकन, यदि कोई हों तो, पूरा कर लिया हो और इस सम्बन्ध में केवल अधिसूचना की प्रतीक्षा हो, वे लोग भी केवल प्रवेश स्तर पर लागू वृद्धि में तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
 - ix. सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष या उच्च पदों पर आसीन अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित हैं, वे प्रवेश स्तर पर तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स- वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसा भी मामला हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।

क्षेत्रों के लिए आयोजित किए जा रहे संगोष्ठियों, कार्यशालाओं पर इन विनियमों के तहत कैरियर उन्नति योजना में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में विचार किया जाएगा।

19.0 अन्य निबंधन और शर्तें

19.1 पीएचडी / एमफिल और अन्य उच्चतर शिक्षा हेतु प्रोत्साहन

- i. जिन अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दाखिला, पंजीकरण, कोर्स- वर्क और बाह्य मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुपालन करके संबंधित विषय में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है, वे सहायक आचार्य के रूप में भर्ती के प्रवेश स्तर पर प्रदान की जाने वाली वेतन वृद्धि में पाँच गैर- मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
- ii. सहायक आचार्य के पद पर भर्ती के समय एमफिल उपाधि धारक दो गैर- मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
- iii. जिन शिक्षकों के पास एलएलएम/ एम.टेक/ एम.आर्क/ एम.ई/ एम.वी.एससी/ एम.डी., आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की उपाधि है जिन्हें संबंधित सांविधिक निकाय/ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है वे भी प्रवेश स्तर पर दो गैर- मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
- iv.
 - (क) जो शिक्षक सेवा के दौरान पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं वे तभी प्रवेश स्तर पर तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे यदि पीएचडी, रोजगार से सम्बंधित विषय में की गई है और जो विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन, कोर्स- वर्क, मूल्यांकन आदि हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके प्रदान की गई हो।
 - (ख) तथापि, उन सेवारत शिक्षकों को जिन्हें इन विनियमों के लागू होने के समय से पहले ही पीएचडी की उपाधि प्रदान कर दी गई है या पीएचडी में नामांकन हो गया हो, जो कोर्स- वर्क और मूल्यांकन पूरा कर चुके हों, यदि कोई हो तो, और पीएचडी की उपाधि प्रदान करने के संबंध में केवल अधिसूचना जारी की गई हो, तो वे भी प्रवेश स्तर पर तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे, चाहे, पीएचडी की उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।
 - v. अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, वे शिक्षक जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित हैं वे उस स्थिति में भी प्रवेश स्तर पर तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स- वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसा भी मामला हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।
 - vi. ऐसे सेवारत शिक्षक जिनका अभी पीएचडी में नामांकन नहीं हुआ है, को प्रवेश स्तर पर तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि का लाभ तभी प्राप्त होगा जब वे सेवा में रहते हुए पीएचडी की उपाधि प्राप्त करें और उक्त नामांकन ऐसे विश्वविद्यालय में होना चाहिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नामांकन सहित सम्पूर्ण प्रक्रिया का अनुपालन करता हो।
 - vii. ऐसे शिक्षक, जो सेवा के दौरान व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एमफिल उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते हैं जिन्हें संबंधित सांविधिक निकाय/ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो, भी केवल प्रवेश स्तर पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
 - viii. ऐसे सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष जिनके पास प्रवेश स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान में पुस्तकालय विज्ञान की विद्या में ऐसे विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हो, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में पी.एच.डी. प्रदान करने के लिए नामांकन, कोर्स- वर्क, और मूल्यांकन के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का पालन करता हो, वे पांच गैर- मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
 - ix. (क) सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष जो सेवकाल के दौरान कभी भी पुस्तकालय विज्ञान में ऐसे विश्वविद्यालय से जो नामांकन, कोर्स- वर्क, और मूल्यांकन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करता हो, से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं वे केवल प्रवेश स्तर पर लागू वृद्धि में तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
 - (ख) तथापि, ऐसे शिक्षक, जो सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष या उच्च पदों पर आसीन हैं, जिन्होंने इन विनियमों के लागू होने से पूर्व पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली है या पहले ही कोर्स वर्क और मूल्यांकन, यदि कोई हों तो, पूरा कर लिया हो और इस सम्बन्ध में केवल अधिसूचना की प्रतीक्षा हो, वे लोग भी केवल प्रवेश स्तर पर लागू वृद्धि में तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
 - ix. सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष या उच्च पदों पर आसीन अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित हैं, वे प्रवेश स्तर पर तीन गैर- मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स- वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसा भी मामला हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।

(E) Refrain from allowing considerations of caste, creed, religion, race, gender or sex in their professional endeavour.

18.0 Maintenance of Standards in Higher-Education Institutions:

In order to maintain the academic standards in higher education, the following recommendations shall be adopted by the respective Universities/Colleges/Institutions:

- i. The process of evaluation for Ph.D shall be uniform in all the universities in accordance with the respective UGC Regulations and their amendments from time to time, in this regard. The Universities shall adopt these Regulations within six months of their notification.
- ii. There shall be special provision of supernumerary Ph.D seats not exceeding 10% of the total seats available in the department, if there is no vacant seat available with the eligible Supervisors in that department, to the in-service teachers for encouraging the faculty members of colleges and universities for getting a Ph.D. degree.
- iii. In order to encourage research and increase country's research output, Universities shall accord permission and provide need-based facility for college teachers to supervise Ph.D./M.Phil. scholars. Universities shall amend their Statutes and Ordinances accordingly.
- iv. All newly-recruited faculty members shall be provided one-time seed money/start up grant/research grant for establishing a basic research/computational facility as per the provisions laid down in these regulations.
- v. The Ph.D. degree shall be made a mandatory requirement for recruitment and promotions in accordance with the provisions laid down in these Regulations.
- vi. Research clusters shall be created amongst the universities/colleges/research institutions within the state for sharing research facilities, human resources, skills and infrastructure to ensure optimal utilisation of resources and to create synergies among higher education institutions.
- vii. An induction programme of one month shall be introduced for all newly-recruited Assistant Professors in the universities /colleges/institutions ideally before the starting of their teaching work, but definitely within one year of the recruitment of the new faculty member. In addition to the Human Resource Development Centres of the UGC, Universities/Institutions with the Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching(PMMMNTT) scheme shall also organize such induction programmes as per their mandate.
- viii. These induction programmes shall be treated at par with the Orientation Programmes already being run by the Human Resource Development Centres of the UGC for the purpose of the CAS requirements. Universities/Colleges/Institutions shall send the faculty members to such programmes in a phased manner so that the teaching work does not suffer.
- ix. All short-term and long-duration capacity-building programmes for teachers/faculty ranging from one week to one month as well as seminars, workshops in different pedagogic and discipline-specific areas being conducted by centres such as Schools of Education (SoEs), Teaching Learning Centres (TLCs), Faculty Development Centres (FDCs), Centres for Excellence in Science and Mathematics (CESMEs), Centres for Academic Leadership and Education Management (CALEMs) under the PMMMNMTT scheme shall be taken into consideration for fulfilment of the requirements as laid down in Career Advancement Scheme of these Regulations.

19.0 Other Terms and Conditions

19.1 Incentives for Ph.D./M.Phil. and other Higher Qualification

- i. Five non-compounded advance increments shall be admissible at the entry level of recruitment as Assistant Professor to persons possessing the degrees of Ph.D. awarded in a relevant discipline by the University following the process of admission, registration, course work and external evaluation as prescribed by the UGC.
- ii. M.Phil degree holders at the time of recruitment to the post of Assistant Professor shall be entitled to two non-compounded advance increments.
- iii. Those possessing Post-graduate degree in the professional course such as LL.M./M.Tech/M.Arch./M.E./M.V.Sc./M.D., etc. recognized by the relevant statutory body/ council, shall also be entitled to two non-compounded advance increments at the entry level.
- iv.
 - a) Teachers who complete their Ph.D. degree while in service shall be entitled to three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only if such Ph.D. is in a relevant discipline of the

(E) Refrain from allowing considerations of caste, creed, religion, race, gender or sex in their professional endeavour.

18.0 Maintenance of Standards in Higher-Education Institutions:

In order to maintain the academic standards in higher education, the following recommendations shall be adopted by the respective Universities/Colleges/Institutions:

- i. The process of evaluation for Ph.D shall be uniform in all the universities in accordance with the respective UGC Regulations and their amendments from time to time, in this regard. The Universities shall adopt these Regulations within six months of their notification.
- ii. There shall be special provision of supernumerary Ph.D seats not exceeding 10% of the total seats available in the department, if there is no vacant seat available with the eligible Supervisors in that department, to the in-service teachers for encouraging the faculty members of colleges and universities for getting a Ph.D. degree.
- iii. In order to encourage research and increase country's research output, Universities shall accord permission and provide need-based facility for college teachers to supervise Ph.D./M.Phil. scholars. Universities shall amend their Statutes and Ordinances accordingly.
- iv. All newly-recruited faculty members shall be provided one-time seed money/start up grant/research grant for establishing a basic research/computational facility as per the provisions laid down in these regulations.
- v. The Ph.D. degree shall be made a mandatory requirement for recruitment and promotions in accordance with the provisions laid down in these Regulations.
- vi. Research clusters shall be created amongst the universities/colleges/research institutions within the state for sharing research facilities, human resources, skills and infrastructure to ensure optimal utilisation of resources and to create synergies among higher education institutions.
- vii. An induction programme of one month shall be introduced for all newly-recruited Assistant Professors in the universities /colleges/institutions ideally before the starting of their teaching work, but definitely within one year of the recruitment of the new faculty member. In addition to the Human Resource Development Centres of the UGC, Universities/Institutions with the Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching(PMMMNTT) scheme shall also organize such induction programmes as per their mandate.
- viii. These induction programmes shall be treated at par with the Orientation Programmes already being run by the Human Resource Development Centres of the UGC for the purpose of the CAS requirements. Universities/Colleges/Institutions shall send the faculty members to such programmes in a phased manner so that the teaching work does not suffer.
- ix. All short-term and long-duration capacity-building programmes for teachers/faculty ranging from one week to one month as well as seminars, workshops in different pedagogic and discipline-specific areas being conducted by centres such as Schools of Education (SoEs), Teaching Learning Centres (TLCs), Faculty Development Centres (FDCs), Centres for Excellence in Science and Mathematics (CESMEs), Centres for Academic Leadership and Education Management (CALEMs) under the PMMMNTT scheme shall be taken into consideration for fulfilment of the requirements as laid down in Career Advancement Scheme of these Regulations.

19.0 Other Terms and Conditions

19.1 Incentives for Ph.D./M.Phil. and other Higher Qualification

- i. Five non-compounded advance increments shall be admissible at the entry level of recruitment as Assistant Professor to persons possessing the degrees of Ph.D. awarded in a relevant discipline by the University following the process of admission, registration, course work and external evaluation as prescribed by the UGC.
- ii. M.Phil degree holders at the time of recruitment to the post of Assistant Professor shall be entitled to two non-compounded advance increments.
- iii. Those possessing Post-graduate degree in the professional course such as LL.M./M.Tech/M.Arch./M.E./M.V.Sc./M.D., etc. recognized by the relevant statutory body/ council, shall also be entitled to two non-compounded advance increments at the entry level.
- iv.
 - a) Teachers who complete their Ph.D. degree while in service shall be entitled to three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only if such Ph.D. is in a relevant discipline of the

- discipline of employment and has been awarded by a University complying with the process prescribed by the UGC for enrolment, course work, evaluation, etc.
- b) However, teachers in service who have already been awarded Ph.D. by the time of coming into force of these Regulations or having been enrolled for Ph.D. have already undergone course-work as well as evaluation, if any, and only Notification in regard to the award of Ph.D. is awarded, shall also be entitled to the award of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only, even if the university awarding such Ph.D. has not yet been notified by the UGC as having complied with the process prescribed by the Commission.
- v. In respect of every other case, a teacher who is already enrolled for Ph.D. shall avail the benefit of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only if the university awarding the Ph.D. has been notified by the UGC to have complied with the process prescribed by the Commission for the award of Ph.D. in respect of either course-work or evaluation or both, as the case may be.
- vi. Teachers in service who have not yet enrolled for Ph.D. shall therefore, derive the benefit of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only on award of Ph.D. , while in service only if such enrolment is with a university which complies with the entire process including that of enrolment as prescribed by the UGC.
- vii. Teachers who acquire M.Phil. Degree or a post-graduate degree in a professional course recognised by the relevant Statutory Body / Council, while in service, shall be entitled to one advance increment fixed at increment applicable at entry level only.
- viii. Five non-compounded advance increments shall be admissible to Assistant Librarian / College Librarian who are recruited at entry level with Ph.D. degree in the discipline of library science from a university complying with the process prescribed by the UGC in respect of enrolment, course-work and evaluation process for the award of Ph.D. in Library Science.
- ix. (a) Assistant Librarian/College Librarian acquiring the degree of Ph.D. at any time while in service, in the discipline of library science from a university complying with the process prescribed by the UGC in respect of enrolment, course-work and evaluation shall be entitled to three non-compounded advance increments fixed at increment applicable at entry level only.
- (b) However, persons in posts of Assistant Librarian/College Librarian on higher positions who have already been awarded Ph.D. in library science at the time of coming into force of these Regulations or having already undergone course-work as well as evaluation, if any, and only Notification in regard to the award of Ph.D. is awaited, shall also be entitled to the award of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only.
- x. In respect of every other case of persons in the post of Assistant Librarian / College Librarian or higher positions who are already enrolled for Ph.D. shall avail the benefit three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only if the university awarding the Ph.D. has been notified by the UGC to have complied with the process prescribed by the Commission for the award of Ph.D. in respect of either course-work or evaluation or both as the case may be.
- xi. Assistant Librarian/College Librarian and others in higher library positions in service who have not yet enrolled for Ph.D. shall therefore, derive the benefit of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only on award of Ph.D. while in service only if such enrolment is with a university which complies with the entire process, including that of enrolment as prescribed by the UGC.
- xii. Two non-compounded advance increments shall be admissible for Assistant Librarian/College Librarian with M.Phil. degree in Library Science at the entry level. Assistant Librarian/College Librarian and those in higher positions acquiring M.Phil degree in library science at any time during the course of their service shall be entitled to one advance increment fixed at increment applicable at entry level only.
- xiii. Five non-compounded advance increments shall be admissible to Assistant Director of Physical Education and Sports / College Director of Physical Education and Sports who are recruited at entry level with Ph.D. degree in the discipline of Physical Education/Physical Education and Sports / Sports Science from a university complying with the process prescribed by the UGC in respect of enrolment, course-work and evaluation process for the award of Ph.D. in Physical Education/Physical Education and Sports / Sports Science.

- discipline of employment and has been awarded by a University complying with the process prescribed by the UGC for enrolment, course work, evaluation, etc.
- b) However, teachers in service who have already been awarded Ph.D. by the time of coming into force of these Regulations or having been enrolled for Ph.D. have already undergone course-work as well as evaluation, if any, and only Notification in regard to the award of Ph.D. is awarded, shall also be entitled to the award of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only, even if the university awarding such Ph.D. has not yet been notified by the UGC as having complied with the process prescribed by the Commission.
- v. In respect of every other case, a teacher who is already enrolled for Ph.D. shall avail the benefit of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only if the university awarding the Ph.D. has been notified by the UGC to have complied with the process prescribed by the Commission for the award of Ph.D. in respect of either course-work or evaluation or both, as the case may be.
- vi. Teachers in service who have not yet enrolled for Ph.D. shall therefore, derive the benefit of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only on award of Ph.D. , while in service only if such enrolment is with a university which complies with the entire process including that of enrolment as prescribed by the UGC.
- vii. Teachers who acquire M.Phil. Degree or a post-graduate degree in a professional course recognised by the relevant Statutory Body / Council, while in service, shall be entitled to one advance increment fixed at increment applicable at entry level only.
- viii. Five non-compounded advance increments shall be admissible to Assistant Librarian / College Librarian who are recruited at entry level with Ph.D. degree in the discipline of library science from a university complying with the process prescribed by the UGC in respect of enrolment, course-work and evaluation process for the award of Ph.D. in Library Science.
- ix. (a) Assistant Librarian/College Librarian acquiring the degree of Ph.D. at any time while in service, in the discipline of library science from a university complying with the process prescribed by the UGC in respect of enrolment, course-work and evaluation shall be entitled to three non-compounded advance increments fixed at increment applicable at entry level only.
- (b) However, persons in posts of Assistant Librarian/College Librarian on higher positions who have already been awarded Ph.D. in library science at the time of coming into force of these Regulations or having already undergone course-work as well as evaluation, if any, and only Notification in regard to the award of Ph.D. is awaited, shall also be entitled to the award of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only.
- x. In respect of every other case of persons in the post of Assistant Librarian / College Librarian or higher positions who are already enrolled for Ph.D. shall avail the benefit three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only if the university awarding the Ph.D. has been notified by the UGC to have complied with the process prescribed by the Commission for the award of Ph.D. in respect of either course-work or evaluation or both as the case may be.
- xi. Assistant Librarian/College Librarian and others in higher library positions in service who have not yet enrolled for Ph.D. shall therefore, derive the benefit of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only on award of Ph.D. while in service only if such enrolment is with a university which complies with the entire process, including that of enrolment as prescribed by the UGC.
- xii. Two non-compounded advance increments shall be admissible for Assistant Librarian/College Librarian with M.Phil. degree in Library Science at the entry level. Assistant Librarian/College Librarian and those in higher positions acquiring M.Phil degree in library science at any time during the course of their service shall be entitled to one advance increment fixed at increment applicable at entry level only.
- xiii. Five non-compounded advance increments shall be admissible to Assistant Director of Physical Education and Sports / College Director of Physical Education and Sports who are recruited at entry level with Ph.D. degree in the discipline of Physical Education/Physical Education and Sports / Sports Science from a university complying with the process prescribed by the UGC in respect of enrolment, course-work and evaluation process for the award of Ph.D. in Physical Education/Physical Education and Sports / Sports Science.

ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(फोन - 0771-2636413 फैक्स - 0771-2263412)

(E-mail - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

कमांक 2116/338/आउशि/राज.स्था./2020

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21.02.20

प्रति,

पाठालेखाकर,
छत्तीसगढ़, जीरो पाईट,
विमानरत्ना मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

विषय -
संदर्भ -

पीएच.डी./एम.फिल. वेतनवृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण।

1. कार्यालयीन पत्र कमांक-507/1092/आउशि/राज.स्था./2017 दिनांक 26.09.2017
2. आगका पत्र कमांक-फाच/वेतन निर्धारण/204 दिनांक 21.12.2020

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक प्राध्यापक/कीडानिकारी/ग्रंथपाल को पीएच.डी./एम.फिल. तथा अन्य उच्च योग्यता हेतु प्रदाय अग्रिम वेतनवृद्धि के संदर्भ में जब तक छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी नहीं होता तब तक इन वेतनवृद्धियों को दिये जाने के संबंध में कोई भी कार्यवाही न किसे जाने के निर्देश जारी किये गये थे।


उक्त के संबंध में पूर्व में निम्नलिखित प्रकरणों एवं कार्यालयीन पत्रों द्वारा पीएच.डी./एम.फिल. वेतनवृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है :-

क्र.	प्रकरण	कार्यालयीन पत्र
1	न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी.एस. कमांक-512/2020 वै. देवेन्द्र सिंह	आदेश कमांक-1841/130/आउशि/राज.स्था./2020 दिनांक 19.10.2020
2	न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी.एस. कमांक-2672/2020 वै. तथा मधुसे	पत्र कमांक-1877/288/आउशि/राज.स्था./2020 दिनांक 09.11.2020
3	वै. प्रकाश प्रकाश वै. प्रिया कजाज	कार्यालयीन पत्र कमांक 1907/338/आउशि/राज.स्था./2020 दिनांक 27.11.2020

निर्देशानुसार संदर्भित पत्र के संदर्भ में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियम/निर्देश अनुसार पीएच.डी./एम.फिल. वेतनवृद्धि के संबंध में एकजारी स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :-

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक-1221/एफ-2-10/2009/38-1 दिनांक 30.03.2010 द्वारा महाविद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान (जहां वेतनमान दिये जाने का निर्देश जारी किया गया है। उक्त निर्देश में पीएच.डी./एम.फिल. वेतनवृद्धि के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है :-
 - कठिना-12(अ) में पुनरीक्षित वेतनमान में नियुक्ति के समय संबंधित विषय में पीएच.डी./एम.फिल. उपाधि धारकों को कमशः पांच तथा तीन अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता होगी।
 - कठिना-12(ब) में वेतनमान वाले पूर्व पीएच.डी./एम.फिल. उपाधि प्राप्त करने पर कमशः तीन तथा एक अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता होगी, परन्तु उक्त लाभ दिनांक 01.09.2008 के पूर्व देय नहीं होंगे।
 - कठिना-12(ग) दिनांक 01.01.2006 से पूर्व पीएच.डी./एम.फिल. उपाधि धारकों को पुनरीक्षित वेतनमान में अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
2. छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ 2-1/18/38-1 दिनांक 26.09.2018 के द्वारा प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में पदस्थ प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, कीडानिकारी एवं ग्रंथपाल को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान (या वेतनमान) स्वीकृति का निर्देश जारी हुआ है। उक्त निर्देश में पी. एच.डी./एम.फिल. की अग्रिम वेतनवृद्धि प्रावधानित नहीं है।

N.A. Postgraduate Studies
र.सा.प.ग. 2020
21.03.2021



ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(फोन - 0771-2636413 फैक्स - 0771-2263412)

(E-mail - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

कमांक 21/16/338/आउशि/राज.स्था./2020

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21.02.21

प्रति,

पाठालेखाकार,
छत्तीसगढ़, जीरो पाईट,
विमानरत्ना मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

विषय -
संदर्भ -

पीएच.डी./एम.फिल. वेतनवृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण।

1. कार्यालयीन पत्र कमांक-507/1092/आउशि/राज.स्था./2017 दिनांक 26.09.2017
2. आगका पत्र कमांक-फाच/वेतन निर्धारण/204 दिनांक 21.12.2020

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक प्राध्यापक/कीडाधिकारी/ग्रंथपाल को पीएच.डी./एम.फिल. तथा अन्य उच्च योग्यता हेतु प्रदाय अग्रिम वेतनवृद्धि के संदर्भ में जब तक छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी नहीं होता तब तक इन वेतनवृद्धियों को दिये जाने के संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की जाये के निर्देश जारी किये गये थे।


उक्त के संबंध में पूर्व में निम्नलिखित प्रकरणों एवं कार्यालयीन पत्रों द्वारा पीएच.डी./एम.फिल. वेतनवृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है :-

क्र.	प्रकरण	कार्यालयीन पत्र
1	न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी.एस. कमांक-512/2020 वै. देवेन्द्र सिंह	आदेश कमांक-1841/130/आउशि/राज.स्था./2020 दिनांक 19.10.2020
2	न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी.एस. कमांक-2672/2020 वै. तथा मधुसे	पत्र कमांक-1877/288/आउशि/राज.स्था./2020 दिनांक 09.11.2020
3	वै. प्रकाश प्रकाश वै. प्रिया कजाज	कार्यालयीन पत्र कमांक 1907/338/आउशि/राज.स्था./2020 दिनांक 27.11.2020

निर्देशानुसार संदर्भित पत्र के संदर्भ में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियम/निर्देश अनुसार पीएच.डी./एम.फिल. वेतनवृद्धि के संबंध में एकजारी स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :-

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक-1221/एफ-2-10/2009/38-1 दिनांक 30.03.2010 द्वारा महाविद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान (जहां वेतनमान दिये जाने का निर्देश जारी किया गया है। उक्त निर्देश में पीएच.डी./एम.फिल. वेतनवृद्धि के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है :-
 - कठिना-12(अ) में पुनरीक्षित वेतनमान में नियुक्ति के समय संबंधित विषय में पीएच.डी./एम.फिल. उपाधि धारकों को कमशः पांच तथा तीन अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता होगी।
 - कठिना-12(ब) में वेतनमान वाले पूर्व पीएच.डी./एम.फिल. उपाधि प्राप्त करने पर कमशः तीन तथा एक अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता होगी, परन्तु उक्त लाभ दिनांक 01.09.2008 के पूर्व देय नहीं होंगे।
 - कठिना-12(ग) दिनांक 01.01.2006 से पूर्व पीएच.डी./एम.फिल. उपाधि धारकों को पुनरीक्षित वेतनमान में अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
2. छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ 2-1/18/38-1 दिनांक 26.09.2018 के द्वारा प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में पदस्थ प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, कीडाधिकारी एवं ग्रंथपाल को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान (या वेतनमान) स्वीकृति का निर्देश जारी हुआ है। उक्त निर्देश में पी. एच.डी./एम.फिल. की अग्रिम वेतनवृद्धि प्रावधानित नहीं है।

N.A. Postgraduate Studies
र.सा.प.ग. 2021
21.03.2021



4. निम्नलिखित आदेशों के परिपत्र क्रमांक-23-4/2017(पीएस) दिनांक 31.01.2018 के साथ सहित भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 02.11.2017 की कण्डिका-8 में निम्न उल्लेखित है :-

"The incentive structure is built-in the pay structure itself wherein those having M.Phil or Ph.D degree will progress faster under CAS. Therefore, there shall be no incentives in form of advance increments for obtaining the degrees of M.Phil or Ph.D."

3. उच्च शिक्षा, निर्देश के अनुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक-507/1092/आउशि/राज.स्था/2017 दिनांक 26.09.2017 के संबंध में पीएच.डी./एम.फिल. वेतनवृद्धि के संबंध में पात्रता निम्नानुसार है :-

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक-1221/एफ-2-10/2009/38-1 दिनांक 30.03.2010 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान (6वां वेतनागन) अनुसार दिनांक 01.01.2006 से 31.12.2015 तक की अवधि में नियुक्त अथवा सेवारत अधिकारियों, जिन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक 3807/एफ 2 3/2011/38-1 दिनांक 31.10.2012 अनुसार मापदण्ड के तहत प्राप्त पीएचडी/एमफिल उपाधि धारकों को शासनादेश के कंडिका-12(अ), 12(ब) एवं 12(स) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता नियमानुसार होगी।
2. छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-1/18/38-1 दिनांक 26.09.2018 के द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान (7वां वेतनमान) दिनांक 01.01.2016 से लागू है, जिसमें पीएच.डी./एम.फिल. वेतनवृद्धि प्रदान करने के संबंध में प्रावधान नहीं है। अतः दिनांक 01.01.2016 से/पश्चात नियुक्त अथवा पीएच.डी./एम.फिल. उपाधि अर्जित करने वाले सेवारत अधिकारियों को वर्तमान नियम/निर्देश के अधीन पीएच.डी./एम.फिल. अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं है।

कृपया उपरोक्तानुसार सेवापुस्तिकाओं में वेतन निर्धारण आदि के सत्यापन संबंधी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 2/15/330/आउशि/राज.स्था./2020
प्रतिनिधि:-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 22.11.20

1. सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)।
 2. अपर संचालक, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय (रायपुर/दुर्ग/रायगुआ/विलापुर/बरतार)।
 3. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय।
 4. प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय।
 5. प्रमुख, अटल नगर, प्राचार्य प्रकोष्ठ/कार्यालयीन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)।
-की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

4. निम्नलिखित आदेशों के परिपत्र क्रमांक-23-4/2017(पीएस) दिनांक 31.01.2018 के साथ सहित भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 02.11.2017 की कण्डिका-8 में निम्न उल्लेखित है :-

"The incentive structure is built-in the pay structure itself wherein those having M.Phil or Ph.D degree will progress faster under CAS. Therefore, there shall be no incentives in form of advance increments for obtaining the degrees of M.Phil or Ph.D."

3. उच्च शिक्षा, निर्देश के अनुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक-507/1092/आउशि/राज.स्था/2017 दिनांक 26.09.2017 के संबंध में पीएच.डी./एम.फिल. वेतनवृद्धि के संबंध में पात्रता निम्नानुसार है :-

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक-1221/एफ-2-10/2009/38-1 दिनांक 30.03.2010 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान (6वां वेतनागन) अनुसार दिनांक 01.01.2006 से 31.12.2015 तक की अवधि में नियुक्त अथवा सेवारत अधिकारियों, जिन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक 3807/एफ 2 3/2011/38-1 दिनांक 31.10.2012 अनुसार मापदण्ड के तहत प्राप्त पीएचडी/एमफिल उपाधि धारकों को शासनादेश के कंडिका-12(अ), 12(ब) एवं 12(स) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता नियमानुसार होगी।
2. छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-1/18/38-1 दिनांक 26.09.2018 के द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान (7वां वेतनमान) दिनांक 01.01.2016 से लागू है, जिसमें पीएच.डी./एम.फिल. वेतनवृद्धि प्रदान करने के संबंध में प्रावधान नहीं है। अतः दिनांक 01.01.2016 से/पश्चात नियुक्त अथवा पीएच.डी./एम.फिल. उपाधि अर्जित करने वाले सेवारत अधिकारियों को वर्तमान नियम/निर्देश के अधीन पीएच.डी./एम.फिल. अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं है।

कृपया उपरोक्तानुसार सेवापुस्तिकाओं में वेतन निर्धारण आदि के सत्यापन संबंधी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 2; 15/33/आउशि/राज.स्था./2020
प्रतिनिधि:-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 22.11.20

1. सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)।
 2. अपर संचालक, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय (रायपुर/दुर्ग/सामुआ/विलापुर/बरतार)।
 3. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय।
 4. प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय।
 5. प्रमुख, अटल नगर, प्राचार्य प्रकोष्ठ/कार्यालयीन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)।
-की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

वित्त निर्देश 28 / 2022

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14.10.2022

क्र. 709/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार,
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय—राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें

—0—

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 536/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 16.08.2022 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को माह अगस्त, 2022 से सातवें वेतनमान में 28% की दर से तथा छठवें वेतनमान में 189% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता दिया जाये:-


वेतनमान	अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवां वेतनमान	दिनांक 1 अक्टूबर 2022	5%	33%
छठवां वेतनमान	दिनांक 1 अक्टूबर 2022	12%	201%

राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :-

1. बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से नगद भुगतान किया जाएगा।
2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
5. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(श्री प्रकाश राज)

अवर सचिव

वित्त निर्देश 28 / 2022

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14.10.2022

क्र. 709/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार,
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय—राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें

—0—

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 536/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 16.08.2022 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को माह अगस्त, 2022 से सातवें वेतनमान में 28% की दर से तथा छठवें वेतनमान में 189% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता दिया जाये:-


वेतनमान	अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवां वेतनमान	दिनांक 1 अक्टूबर 2022	5%	33%
छठवां वेतनमान	दिनांक 1 अक्टूबर 2022	12%	201%

राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :-

1. बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से नगद भुगतान किया जाएगा।
2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
5. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(श्री प्रकाश राज)


अवर सचिव

//2//

पृ. क्र. 710/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार,
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14.10.2022

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
 2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
 3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 5. सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
 6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर
 7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
 8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
 9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
 12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर
 13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
 14. समस्त अपर सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव /विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
 16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
 18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
 19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
 21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
 22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु



(इन्द्रकांत-रात्रे)
अवर सचिव

//2//

पु. क्र. 710/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार,
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14.10.2022

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
 2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
 3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 5. सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
 6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर
 7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
 8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
 9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
 12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर
 13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
 14. समस्त अपर सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव /विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
 16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
 18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
 19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
 21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
 22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु


(इन्द्रकांत-रात्रे)
अवर सचिव

3. अतः इस संबंध में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अज्ञात कराया जाता है कि वे इस सुविधा का लाभ www.cg.nic.in/gadonline से उक्त प्रोग्राम को डाउनलोड करके यात्रा देयक तैयार कर सकते हैं।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 2056/2011/1-8, दिनांक 3-10-2011]

7. स्थानान्तरण यात्रा भत्ता :-

स्थानान्तरण होने पर यात्रा करने हेतु शासकीय कर्मचारी को यात्रा प्रतिपूर्ति राशि शासन से प्राप्त करने का अधिकार होगा, बशर्ते उसका स्थानांतर प्रशासनिक हुआ हो -

(1) यात्रा व्यय - स्वयं तथा आश्रित परिवार के सदस्यों के लिये भी उस श्रेणी का वास्तविक किराया प्राप्त होगा जिस श्रेणी में वह यात्रा करने की पात्रता रखता है, परन्तु उसे हवाई यात्रा या वातानुकूलित प्रथम श्रेणी से यात्रा की पात्रता नहीं होगी।

(2) दैनिक भत्ता - कर्मचारी को साधारण दर से एक दैनिक भत्ता तथा परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिये एक-एक दैनिक भत्ता तथा 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिये आधा दैनिक भत्ता, प्राप्त करने की पात्रता होगी।

(3) कार आदि वाहन परिवहन के लिये - कार/मोटर-साईकिल या अन्य वाहन के परिवहन हेतु पूरक नियम 81-डी के प्रावधानों के साथ वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।

(4) घरेलू सामान परिवहन व्यय - घरेलू सामान रेल द्वारा परिवहन होता है तो वास्तविक व्यय या मालगाड़ी द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिये दर्शायी गयी अधिकतम सीमा दोनों में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति हो सकेगी।

सामान सड़क मार्ग से परिवहन किया जाता है तो वास्तविक व्यय या निम्न सीमा तक परिवहन व्यय जो भी कम हो की पात्रता होगी।

टीप - शासकीय कर्मचारी को बूट है कि वह घरेलू सामान रेल अथवा सड़क से परिवहन कर सकता है।

[पूरक नियम 81-ए/81-सी]

8. अन्य यात्राओं के लिये यात्रा-भत्ता :-

किसी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए यात्रा-भत्ता

(i) शासकीय सेवक जिन्हें विभागीय परीक्षाएं अनिवार्यतः उत्तीर्ण करनी होती हैं अथवा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षा (वैकल्पिक) में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी गई है। यात्रा भत्ता पूरक नियम 92 व 94 के अंतर्गत पात्रता होगी।

(ii) अनिवार्य परीक्षाओं के लिये यात्रा भत्ता - ऐसे शासकीय सेवकों के लिये उन्हें विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, परीक्षा स्थल तक जाने और आने का दौर के समान यात्रा-भत्ता (परन्तु विराम के लिये नहीं) देय है, किन्तु यह भत्ता तभी मिल सकता है जब परीक्षा समयावधि में (यदि निश्चित है) उत्तीर्ण कर ली गई हो।

यात्रा एवं दैनिक भत्ता नियम

325

टीप - सक्षम प्राधिकारी परीक्षार्थी का यात्रा भत्ता अस्वीकृत कर सकता है, यदि उसके मतानुसार सम्मिलित होने वाली परीक्षा की तैयारी में धीर उपेक्षा की गई हो।

(3) ऐच्छिक परीक्षाओं के लिये यात्रा-भत्ता - शासकीय सेवकों को परीक्षा स्थान तक जाने तथा आने के लिये धीरे के समान यात्रा-भत्ता (परन्तु विराम के लिये नहीं) पाने की पात्रता है, यदि परीक्षार्थी को -

(i) सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है, तथा

(ii) परीक्षा में यथोचित स्तर दर्शाया हो।

टीप - किन्तु-किन्तु अधिकारियों को किरतने अवसर का यात्रा भत्ता देय है इसके लिये यात्रा भत्ता का पूरक नियम देखा जाना चाहिए।

गावही देने, विभागीय जांच में उपस्थित होने अथवा दीवानी या फौजदारी दोषारोपों के उतर देने हेतु यात्रा भत्ता

फौजदारी दोषारोपों के उतर देने हेतु यात्रा भत्ता

(1) किसी शासकीय सेवक को साक्ष्य देना है, वे उसके शासकीय सेवा में प्राप्त ज्ञान के अनुसार जात हुए हैं, किसी फौजदारी प्रकरण में, कोर्ट-मार्शल के समक्ष किसी ऐसे दीवानी प्रकरण हेतु जिसमें शासन एक पक्ष है या उचित रूप से स्थापित प्राधिकारी द्वारा विभागीय जांच के सम्मुख साक्ष्य के लिये बुलाया जाता है, निम्न प्रावधान लागू होंगे :-

(i) कि उपस्थिति प्रमाण-पत्र जो न्यायालय या अन्य प्राधिकारी जिसने उसे बुलाया था, से मिलता हो, संलग्न कर दौरे पर को गई यात्राओं के समान यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकता है।

(ii) कि उसे न्यायालय या प्राधिकारी से कोई अन्य भुगतान स्विकार नहीं करना चाहिये। न्यायालय में जमा की गयी गावही के यात्रा भत्ते और निर्वाह भत्ते (अर्थात् भोजन व्यय आदि) के लिये फीस शासकीय खर्च में जमा कर देनी चाहिये।

(iii) कि न्यायालय वह स्थान जहाँ वह गावही देता है, उसके मुख्यालय से 8 कि.मी. के अंदर है और इस कारण उसे यात्रा के लिये कोई यात्रा भत्ता स्वीकार नहीं है और न वह स्थायी यात्रा भत्ता प्राप्त कर रहा है तो वह न्यायालय द्वारा दिया जाने वाला यात्रा का वास्तविक व्यय ले सकता है।

[पूरक नियम 112]

(2) सेवक जो अवकाश है तो उसे जहाँ से साक्ष्य देने के लिये बुलाया गया है, उस स्थान से/को उपयुक्त नियम के अनुसार यात्रा भत्ता पाने का अधिकारी है किन्तु निम्नलिखित अधिकारी की दशा में इस प्रकार की सुविधा केवल राज्य सरकार की विशेष अनुमति ही दी जा सकती है।

[द्विघण्टा पूरक नियम 112]

(3) शासकीय सेवक को उक्त कंडिका में वर्णित स्थिति के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में साक्ष्य देने के लिये बुलाया जाये तो न्यायालय के नियमों के अंतर्गत स्वीकृत भुगतान के अतिरिक्त उसे शासकीय सेवक होने के नाते कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि न्यायालय से यात्रा भत्ते के अतिरिक्त कोई धनराशि निर्वाह भत्ता या क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान प्राप्त करता है तो वह धनराशि

गृह भाड़ा भत्ता (H.R.A) 401

4/1-01-01-10 से

3

वित्त निर्देश 10/2010

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त एवं योजना विभाग

दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 52/38/2010/वित्त/नियम/चार,
प्रति,

रायपुर, दिनांक 22.02.2010

शासन के सम्पन्न विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित दरों पर गृह भाड़ा भत्ते की स्वीकृति।

संदर्भ:- वित्त विभाग का जाप क्रमांक (1) एफ.बी.-11/1187/नि-2/चार, दिनांक 16-4-1987,
(2) एफ.बी. 11/1/87/आर-2/चार, दिनांक 15-6-1987,
(3) एफ.बी. 11/1/(5)/89/नि.-2/चार, दिनांक 15-12-1989,
(4) एफ.आर. 17-02-96/चार/ब-9, दिनांक 11-3-1996 एवं
(5) 151/133/वि/नि/चार/2005, दिनांक 17-4-2005

राज्य शासन के कर्मचारियों को वर्तमान में वित्त विभाग के जापन क्रमांक 151/133/वि/नि/चार/2005, दिनांक 17-4-2005 द्वारा स्वीकृत दरों से गृह भाड़ा भत्ता देय है। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत राज्य शासन ने गृह भाड़ा भत्ते की वर्तमान दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार गृह भाड़ा भत्ते को नई दरें वित्त विभाग के जापन दिनांक 16-4-1987 एवं जापन दिनांक 15-6-1987 में उल्लेखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन निम्नानुसार होंगी :-

क्र.	नगरों का वर्गीकरण	नगरों का नाम	गृह भाड़ा भत्ते की दर
1	'बी-2' श्रेणी	रायपुर, दुर्ग-भिलाई नगर	मूल वेतन का 10 प्रतिशत
2	'सी' श्रेणी	बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जायसपुर, रायगढ़, चिरमिरी, दहली-राजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, भादपाया, जाजगीर-चांपा	मूल वेतन का 7 प्रतिशत
3	अन्य क्षेत्र		मूल वेतन का 4 प्रतिशत
4	दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालयों हेतु		मूल वेतन का 30 प्रतिशत

NayakDADocuments and Settings\RAJESH\My Documents\Vin\hardesh\pdf_2010\Doc File\10.doc

वैधीयक सू-अनिरेख

- 2/ गृह भाड़ा भत्ते की गणना के लिये 'मूल वेतन' से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान, 2009 में प्राप्त मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) से है ।
- 3/ छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत विद्यमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी उपर्युक्त गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता निर्धारित प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन होगी । इन कर्मचारियों के लिये गृह भाड़ा भत्ते की गणना हेतु वेतन के प्रयोजन के लिये विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि हो तो), को 2.26 के गुणक से गुणा करने से प्राप्त राशि होगी ।
- 4/ ये आदेश कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे ।
- 5/ गृह भाड़ा भत्ते की ये दरें दिनांक 1-1-2010 (अर्थात् माह, जनवरी, 2010 का वेतन जो फरवरी, 2010 में देय है) से प्रभावशील होगी ।
- 6/ यह सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अंतर्गत देय गृह भाड़ा भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के लिये स्वीकृत बजट प्रावधान के अंतर्गत हो ।

(एस.के. चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

अधीनस्थ नृ.नं.नि.वि.
जि.डा.व.स.स. (छत्तीसगढ़)

कहा जायेगा। क्षतिपूर्क भत्ते को कर्मचारी लाभ के अंतर्गत नहीं बना सकते। राज्य शासन अपने कर्मचारियों के लिए इस प्रकार के भत्तों की स्वीकृति प्रदान करती है। क्षतिपूर्क भत्ते को मूलभूत नियम 9(5) व मूल नियम 44 में परिभाषित किया गया है।

क्षतिपूर्क भत्ता कर्तव्य निष्पादन करते हुए अतिरिक्त किया जा सकता है, जिसमें मूलतः गृह भाड़ा भत्ता, नगर क्षतिपूर्क भत्ता तथा स्थानांतरण भत्ता जैसे भत्ते सम्मिलित होते हैं। यह भत्ते ही ऐसे भत्ते हैं जो कि अवकाश काल में भी प्रायश्चित्त होते हैं।

1. गृह भाड़ा भत्ता :- मकान किराया भत्ता राज्य शासन के ऐसे सभी कर्मचारियों को प्राप्त होता है जो राज्य शासन के नियमानुसार एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं।

- (1) ऐसे शासकीय सेवकों को जो किराया के मकान पर रहते हो या स्वयं के या पत्नी के या पुत्र/पुत्री के मकान पर रहते हो मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
- (2) ऐसे शासकीय सेवक जिनकी सेवाएँ स्थायी या अस्थायी हो मकान किराया भत्ता पाने के पात्र होंगे। किन्तु ऐसे शासकीय सेवक मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे जो -
 - (अ) वे जिन्हें वर्तमान बाजार दर पर वेतन/पारिश्रम प्राप्त होता है।
 - (ब) ऐसे कर्मचारी जिन्हें शासकीय आवास प्राप्त हो गया हो किन्तु उसे लेने से मना कर दिया हो।
 - (स) ऐसे कर्मचारी जिन्हें अनुसूचित परियोजना क्षेत्र में पदस्थ होने के कारण निर्धारित स्वीकृत दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त हो रहा है।
 - (द) ऐसे कर्मचारी जिन्हें आकास्मिक निधि से वेतन का भुगतान हो रहा हो।
 - (त) ऐसे कर्मचारी जिन्हें निःशुल्क मकान प्राप्त हुआ हो या जिन्हें मकान के बदले गृह भाड़ा प्राप्त होना हो (पुनिस विभाग)।
 - (थ) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।

मकान किराया भत्ता की दर - मकान किराया भत्ता की दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

राज्य शासन के कर्मचारियों वर्तमान में वित्त विभाग के शासन क्रमांक 151/133/वि/नि/चार/2005, दिनांक 17-4-2005 द्वारा स्वीकृत दरों से गृह भाड़ा भत्ता देय है। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत राज्य शासन ने गृह भाड़ा भत्ते की वर्तमान दरों को पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया है। तदनुसार गृह भाड़ा भत्ते की नई दरें वित्त विभाग के शासन दिनांक 16-4-1987 एवं शासन दिनांक 15-6-1987 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन निम्नानुसार होंगी :-

क्र.	नगरों का वर्गीकरण	नगरों का नाम	गृह भाड़ा भत्ते की दर (मूल वेतन का)
1.	'बी-2' श्रेणी	रायपुर, दुर्ग-भिलाई नगर	10 प्रतिशत
2.	'सी' श्रेणी	बिलासपुर, कोरवा, राजनांदगांव, जादलपुर, रायगढ़, चिरमिरी, दल्ही-राजहरा, अन्विकापुर, धमतरी, भाटाभरा, बांधा-जांजगीर	7 प्रतिशत
3.	अन्य क्षेत्र		4 प्रतिशत
4.	दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालय हेतु		30 प्रतिशत

2. गृह भाड़ा भत्ते की गणना के लिये 'मूल वेतन' से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षण वेतनमान, 2009 में प्राप्त मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन-ग्रेड वेतन) से है।

3. छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत विद्यमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी उक्त गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता निर्धारित प्रतिबंधों एवं शर्तों के अर्थात् होगी। इन कर्मचारियों के लिये गृह भाड़ा भत्ते की गणना हेतु वेतन के प्रयोजन के लिये विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि हो तो), को 2.26 के गुणक से गुणा करने से प्राप्त राशि होगी।

4. ये आदेश कार्यभारित आकास्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

5. गृह भाड़ा भत्ते की ये दरें दिनांक 1-1-2010 (अर्थात् माह जनवरी, 2010 का वेतन जो 'नवंबर, 2010 में देय है) से प्रभावशील होगी।

यह सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अंतर्गत देय गृह भाड़ा भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के लिये स्वीकृत बजट प्रवर्धन के अंतर्गत हो।

[वि.वि. क्र. 52/38/2010/विच/नियम/चार, दिनांक 22-2-2010]

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र क्रमांक 2208/2001/सापवि, दिनांक 17-04-2001 के अनुसार ऐसे शासकीय सेवक जो स्वयं के विकल्प पर भिलाई नगर में रहे हैं, उन्हें गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता के संबंध में वित्त विभाग से मार्गदर्शन चाहा गया है।

2. उक्त विषय में स्पष्ट किया जाता है कि रायपुर स्थित कार्यालयों में पदस्थ ऐसे कर्मचारी जो स्वयं के विकल्प पर भिलाई में किराये के आवास में निवास कर रहे हैं, उनका मुख्यालय गृह भाड़ा भत्ता के प्रयोजन से रायपुर मानते हुए रायपुर/भिलाई की दर से गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता होगी, किन्तु ऐसी पात्रता निम्नलिखित प्रकारों में नहीं होगी :-

27 यात्रा एवं दैनिक भता नियम

1. शासकीय सेवकों की यात्रा भता एवं दैनिक भतों की दरों का पुनरीक्षण :-

संभारित वि.वि. शासन क्र. 273/562/वि/नि/चार/02, दि. 5-4-2003; वि.वि. शासन क्र. 708/622/वि/नि/चार/2004, दि. 4-8-2004; वि.वि. शासन क्र. 237/622/वि/नि/चार/2004, दि. 10-8-2007 एवं वि.वि. शासन क्र. 265/237/वि/नि/चार/2007, दि. 5-9-2007 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिये छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अंतर्गत यात्रा भता एवं दैनिक भता की दरें निर्धारित की गई हैं। राज्य के शासकीय सेवकों के लिये छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 लागू होने के फलस्वरूप वित्त विभाग के शासन क्र. 392/सी-18029/वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 5-12-2009 द्वारा यात्रा भता के प्रयोजन के लिए पात्रता हेतु छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में शासकीय सेवकों की श्रेणी निर्धारित की गई थी, किन्तु दरों का पुनरीक्षण नहीं किया गया था।

राज्य के शासकीय सेवकों के यात्रा भते की पात्रता एवं दरों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन था। प्रस्ताव पर पूर्ण विचारोपरान्त राज्य शासन द्वारा व्यापक कर्मचारी हित में वर्तमान श्रेणीकरण, यात्रा भता की दर एवं स्वरूप में संशोधन का निर्णय लिया गया है :-

1. छत्तीसगढ़ यात्रा भता नियम के पूरक नियम 4 के अनुसार छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 की वेतन संरचना में यात्रा भता तथा दैनिक भता की संगणना के प्रयोजनार्थ वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 5 दिसंबर, 2009 द्वारा निर्धारित किये गये श्रेणीकरण को अधिक्रमिणित करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है -
- श्रेणी ए - 10000 या इससे अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले तथा एच.ए.जी. वेतनमान प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।
- श्रेणी बी - 7600 या इससे अधिक किन्तु 10000 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारी।
- श्रेणी सी - 4400 या इससे अधिक किन्तु 7600 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले समस्त शासकीय सेवक।
- श्रेणी डी - 2400 या इससे अधिक किन्तु 4400 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय सेवक।
- श्रेणी ई - 2400 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले समस्त शासकीय सेवक।

--: 314 :-

यात्रा एवं दैनिक भता नियम

315

होगी-

2. पूरक नियम 20(सी) के अनुसार रेल द्वारा की गई यात्रा हेतु पात्रता निम्नानुसार होगी-

श्रेणी	राजधानी	शांतिकी	सामान्य
ए	ए.सी. प्रथम श्रेणी	एक्सप्रेस/ट्रेड क्लास	रेल की उच्चतम श्रेणी
बी	ए.सी. 2 टैयर	ए.सी. वेथकार	रेल की उच्चतम श्रेणी, बालानुश्रुलित प्रथम श्रेणी को छोड़कर
सी	ए.सी. 3 टैयर	ए.सी. वेथकार	रेल की उच्चतम श्रेणी, बालानुश्रुलित प्रथम श्रेणी को छोड़कर
डी	-	-	शयनयान श्रेणी, (बालानुश्रुलित नहीं) एवं बालानुश्रुलित कुर्सीयान
ई	-	-	शयनयान श्रेणी, (बालानुश्रुलित नहीं)

3. छत्तीसगढ़ यात्रा भता नियम के पूरक नियम 21 के अनुसार क्वाई यात्रा की पात्रता निम्नानुसार होगी -

- (अ) एच.ए.जी. वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर एस्सीभ्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।
- (ब) 8700 या इससे अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर एक्रोनामी क्लास के यात्रा के पात्र होंगे।
- (स) 7600 या इससे अधिक किन्तु 8700 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी केवल दिल्ली यात्रा हेतु एक्रोनामी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।
4. छत्तीसगढ़ यात्रा भता नियमों के पूरक नियम 22 के अनुसार लोक वाहन द्वारा सड़क यात्रा की पात्रता निम्नानुसार होगी -
- (अ) श्रेणी ए, श्रेणी बी तथा श्रेणी सी के शासकीय सेवक को बालानुश्रुलित बस से यात्रा की पात्रता होगी।
- (ब) श्रेणी डी के शासकीय सेवक को गैर बालानुश्रुलित डीलक्स बस तथा वाइडथ कोच से यात्रा की पात्रता होगी।
- (स) श्रेणी ई के शासकीय सेवक को गैर बालानुश्रुलित फास्ट पैसेंजर अथवा टूर एक्सप्रेस बस से यात्रा की पात्रता होगी।
5. छत्तीसगढ़ यात्रा भता नियमों के पूरक नियम 25 के अनुसार भील भता की दरें निम्नानुसार होंगी -

राज्य शासन शासकीय सेवकों को दो प्रकार अधिम देती है :- (1) ब्याज रहित अधिम, एवं (2) ब्याज सहित अधिम। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) ब्याज रहित अधिम - (1) स्थानान्तर पर देत अधिम। (2) स्थानान्तर क्षेत्र पर प्रशिक्षण पर जाने वाले शासकीय सेवकों को अधिम। (3) भारत के बाहर (2) ब्याज सहित अधिम - (1) गृह निर्माण, यूएचड क्रय अथवा बना हुआ मकान क्रय करने के लिए अधिम। (2) मोटरकार क्रय अधिम। (3) मोटर सायकल/स्कूटर/मोपेड क्रय अधिम। (4) बाईसिकल क्रय अधिम। (5) अनाज क्रय अधिम। (6) कम्यूटर क्रय अधिम। राज्य शासन के श्रापन क्र मांक 460/525/वि/चि/चारा/2003 दिनांक 21-5-2004 द्वारा शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध सायकल, कम्यूटर, सायकल इत्यादि क्रय के उद्देश्य से पूर्व में लागू राज्य शासन की ब्याज युक्त ऋण प्रदाय संबंधी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि ब्याज युक्त अनाज अधिम की व्यवस्था भी तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाए।

1. शासकीय सेवकों के त्वाँहार अधिम में वृद्धि :-

राज्य शासन द्वारा त्वाँहार अधिम में वृद्धि संबंधी कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया है कि त्वाँहार अधिम की वर्तमान सीमा में वृद्धि करते हुए इसे रु. 1000 के स्थान पर रु. 8000 किया जाए। त्वाँहार अधिम का प्रदाय निम्न निवर्धन एवं शर्तों के अधीन किया जाएगा :-

- (1) त्वाँहार अधिम की पात्रता निम्नलिखित प्रमुख त्वाँहारों हेतु होगी :-
स्वतंत्रता दिवस, गातंत्र दिवस, द्वाहरा, दीपावली, होली, रक्षा बंधन, ईद-उल-जुहा, ईद-उल-फितर, क्रिसमस।
- (2) प्रत्येक प्रकारण में अधिम की अधिकतम राशि 8,000 होगी।
- (3) अधिम की पात्रता राज्य शासन के समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा कार्यभारित एवं आकास्मिकता सेवा के सदस्यों को होगी।
- (4) अधिम की पात्रता केलेण्डर वर्ष में एक बार होगी और जब तक पूर्व में लिये गये त्वाँहार अधिम की पूर्ण रूप से वसूली न हो गई हो, दूसरे अधिम की पात्रता नहीं होगी।

-: 460 :-

यह आदेश दिनांक 1.2.2013 से प्रभावशील होगा।

ऋण एवं अधिम

461

- (5) अधिम की कुल 10 समान मासिक किस्तों में, किमा मात्र अधिम प्रदाय किमा गता है, उस तरह के रूप से प्राप्त होगी। वसूली हेतु किस्तों का निर्धारण पूर्व रुपये [वित्त एवं योजना विभाग क्र. 331/के-1003419/वित्त/किमा/चारा/12, दिनांक 19-10-2012]

2. स्थानान्तरण पर देत/भत्ता भत्ता अधिम :-

(अ) सीमा - स्थानान्तरण पर एक माह का मूल वेतन अधिम देतन के रूप में प्राप्त होता है तथा देत-वस का वास्तविक किमा। किमावे की गणना में स्वयं के दिने एवं शासकीय सेवक पर आश्रित परिवार के सदस्यों के दिने, उसी दर से जिस श्रेणी से शासकीय सेवक यात्रा की पात्रता रखता है, व्यय में शामिल है पूर्व सामान का परिवहन व्यय (एल अथवा मडूक मार्ग में)।

(ब) समायोजन - वेतन अधिम को वेतन से तीन समान मासिक किस्तों में एवं यात्रा अधिम का समायोजन स्थानान्तरण का देतक से एक पुरत किया जाता है।

- (स) सक्षम प्राधिकारी - संश्लित विभाग का जिला प्रमुख अधिकारी या कार्यालय प्रमुख।
- (द) कुछ अन्य बातें -

- (i) स्वेच्छा से स्थानान्तरण के मामले में अधिम को पात्रता नहीं है।
- (ii) स्थानान्तर अधिम को अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में दर्शाया जाता है।
- (iii) अवकाश काल में स्थानान्तर आदेश होने पर भी शासकीय सेवक को वह अधिम स्वीकार किया जा सकता है।
- (iv) किस्तों का निर्धारण पूर्व रूपों में किया जाना चाहिए।

(v) शासकीय सेवक कोई भी अन्य कार्य, से बर्तन लेना वाछेदीय नहीं है। [वित्त विभाग क्र. 3/1/96/ती IV सिद्ध 268 चित्त सहित भाग 1 दिनांक 28-3-96]

3. गृह नगर की यात्रा हेतु अधिम :-

- (अ) पात्रता - सभी श्रेणी के शासकीय सेवकों को इसकी पात्रता है।
- (ब) सीमा - दोनों ओर की यात्रा पर खर्च होने वाली अनुमानित राशि का 4/5 भाग। जहाँ शासकीय सेवक एवं उसका परिवार पृथक्-पृथक् यात्रा करना चाहता है, वहाँ अधिम पृथक्-पृथक् स्वीकार किया जा सकता है। जहाँ अवकाश की अवधि 90 दिन से अधिक होने पर केवल एक ओर का ही अधिम स्वीकार किया जावे।
- (स) समायोजन - यात्रा देतक है एकपुत्र समायोजन की वसेली।
- (द) सक्षम प्राधिकारी - कार्यालय प्रमुख एवं जिला विभाग प्रमुख।
- (इ) कुछ अन्य बातें - अस्थायी शासकीय सेवकों के मामले में स्वीकृत कर्मचारी को जमानत लेनी होगी।

[वित्त विभाग क्र. 1342-सी.आर. 2654-चारा-आर. एफ-72, दिनांक 27-11-72]

4. शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की योजना :-

(1) वर्तमान में राज्य शासन के कर्मचारियों को भवन ऋण/निर्माण, कार, मोटर सायकल, सायकल एवं कम्प्यूटर ऋण हेतु निर्धारण शर्तों पर सत्याज ऋण की पत्राता है। विगत वर्षों में विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा सुविधायुक्त शर्त तथा कम व्याज दर पर व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराने की योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। राज्य शासन द्वारा कर्मचारी के व्यापक हित में निर्णय लिया गया है कि भविष्य में शासकीय सेवकों को राज्य शासन के स्थान पर वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से भवन निर्माण, भवन/भूखंड ऋण, मोटर कार, मोटर सायकल, कम्प्यूटर, टेलिविजन, रेफ्रिजरेटर इत्यादि के ऋण तथा स्वयं अथवा बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ऋण की व्यवस्था की जाए। इस हेतु एक योजना तैयार की गई है, जो संलग्न है।

(2) उक्त योजना के लागू होने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा इन उद्देश्यों हेतु ऋण प्रदाय की व्यवस्था समाप्त की जाती है। ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें पूर्व में स्वीकृत ऋण/अग्रिम की कुछ किस्तें भुगतान की जा चुकी हैं, उन्हें पूर्ववत निर्धारित सीमा तक ऋण/अग्रिम किस्तों का भुगतान किया जावेगा। निजी वित्तीय संस्थाओं से गृह निर्माण/वाहन ऋण के संबंध में इस विभाग के शासन क्रमांक 191/2000/सी/चार, दिनांक 25 जनवरी 2000 तथा क्रमांक 1656/2000/सी/चार, दिनांक 1 अगस्त 2000 द्वारा जारी योजना को समाप्त किया जाता है।

(3) छत्तीसगढ़ वित्त संहिता में संशोधन के आदेश अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।
[वि.वि. क्र. 460/525/वि/नि/चार/2003, दिनांक 21-5-2004]

शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से गृह निर्माण/ऋण, वाहन, कम्प्यूटर अन्य परे लू उपकरण तथा उच्च शिक्षा आदि के लिए ऋण उपलब्ध कराने की योजना

1. योजना का नाम - यह योजना शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की योजना कहलायेगी।
2. उद्देश्य - इस योजना का उद्देश्य शासकीय सेवकों को उनके द्वारा चयनित वित्तीय संस्था से आवासीय प्लॉट का ऋण, गृह निर्माण/ऋण, वाहन/कम्प्यूटर एवं अन्य परे लू उपकरणों या बच्चों/स्वयं की उच्च शिक्षा के लिए सलता से ऋण उपलब्ध कराना है।
3. प्रारंभ - यह योजना दिनांक 1-6-2004 से प्रारंभ होगी।
4. विस्तार - (i) यह योजना निम्नांकित वर्गों को छोड़कर राज्य शासन के समस्त स्टाई/अस्थाई कर्मचारियों पर लागू होगी।

- (अ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी
(ब) दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारी
(स) आकास्मिकता निधि/कार्यभारित स्थापना के अस्थाई सदस्य

(र) पुनर्नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी

(इ) राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी

(ii) ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 5 वर्ष की स्थायी/अस्थाई सेवा पूर्ण कर ली हो तथा जिनकी अधिवार्षिकी पर सेवा निवृत्ति हेतु 2 वर्ष से अधिक अवधि शेष है, इस योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए पत्र होंगे जो शासकीय कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन पर भी यह योजना लागू होगी।

5. ऋण का उद्देश्य - इस योजना के अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों को व्यावसायिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से निम्नांकित उद्देश्यों हेतु ऋण प्राप्त हो सकेगा :-

- (i) किसी भी स्थान पर स्वयं के आवास हेतु आवासीय भू-खंड ऋण अथवा भवन के ऋण/निर्माण एवं परिवर्धन हेतु,
- (ii) नवीन/पुराने वाहन के ऋण हेतु,
- (iii) कम्प्यूटर/टेलिविजन/रेफ्रिजरेटर ऋण हेतु,
- (iv) राज्य शासन से पूर्व में लिए गए आवासीय प्लॉट/भवन निर्माण अग्रिम, वाहन ऋण अग्रिम की शर्तों के समय पूर्व भुगतान हेतु,
- (v) स्वयं तथा अपने बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु,
- (vi) राज्य शासन द्वारा समभू-समय पर जारी आदेशों के अनुसृत अन्य उद्देश्यों हेतु।

6. वित्तीय संस्थाओं का चयन - शासकीय कर्मचारी विन्तु क्रमांक 5 में दिये गये उद्देश्यों के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु व्यावसायिक बैंक/वित्तीय संस्था का चयन स्वयं करेंगे। इस हेतु राज्य शासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

7. ऋण की प्रक्रिया - शासकीय सेवक संलग्न परिशिष्ट 1 में कार्यालय प्रमुख को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचारण नियम, 1965 के नियम 19 के प्रावधानों के तहत पूर्व स्वीकृति (जहाँ आवश्यक हो), व अनुसंज्ञा पत्र हेतु निवेदन करेंगे। कार्यालय प्रमुख प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के उपरांत (जहाँ आवश्यक हो) वित्तीय संस्था के नाम से अनुसंज्ञा पत्र (परिशिष्ट-2) प्रदाय करेंगे, जिसमें कर्मचारी के वेतन भत्ते आदि की प्रमाणित जानकारी होगी। शासकीय सेवक इस अनुसंज्ञा पत्र के साथ सीधे बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के स्थानीय कार्यालय/शाखा से संपर्क कर सकते हैं। ऋण प्रदाय के लिए आवश्यक सभी पत्र आदि संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। बैंक/वित्तीय संस्था अपने द्वारा इस संबंध में निर्मित नियम के सीमा अनुसार ऋण स्वीकृत कर सकता है। बैंक द्वारा ऋण की स्वीकृति की एक प्रती भय शर्तों आदि के आह्वान एवं सवितरण अधिकारी को दी जावेगी एवं कर्मचारी के अभिलेख में रखी जावेगी। संपर्क पर प्रथम चार्ज बैंक/वित्तीय संस्था का रहेगा। ऋण हेतु बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/नियमों का कर्मचारी को पालन करना आवश्यक होगा। यह योजना सरकारी संस्थाओं से लिए जाने वाले ऋणों पर लागू नहीं होगी।

क्र.	विन्दु	सम्यक्करण
1.	बस्तर भत्ता की गणना हेतु द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी किसै माना जावे।	छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के शासन क्रमांक एफ 17-1/08/1/3 दिनांक 22 सितंबर, 2008 द्वारा राजपत्रित अधिकारी घोषित करने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है, जिसके अनुसार सीधी भत्ता और पदोन्नति से भरे जाने वाले वेतनमान 6500-10500 (वर्तमान 9300-34800 वेतन बेंच में 4400 ग्रेड वेतन) के पदों को राजपत्रित सेवा श्रेणी दे घोषित किया गया है, अतः उक्त वेतनमान में सीधी भत्ता या पदोन्नति से नियुक्त शासकीय सेवक बस्तर भत्ता की गणना हेतु द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी माना जाएगा।
2.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6-36/प्रगवि/22-2/2013, दिनांक 17-5-2013 द्वारा 8 (आठ) वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके सहायक शिक्षक (पंचायत), शिक्षक (पंचायत) एवं व्याख्याता (पंचायत) को शासकीय शिक्षक के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत किया गया है। क्या उन्हें भी 'बस्तर भत्ता' की पात्रता होगी।	नहीं। उक्त आदेश केवल शासकीय सेवकों के लिए है, अतः पंचायत शिक्षकों को लागू नहीं होगा।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 386/एन-2013-56-00005/वि/नि/चार, दि. 6-9-13]

23. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा - वित्त विभाग के संदीर्घ शासन 145/एन-2015-21-00650/वि/नि/चार, दिनांक 14-5-2015 द्वारा राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के एवज में चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम के अंतर्गत देय प्रतिपूर्ति के स्थान पर विकल्प के आधर पर रूपये 2000/- प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता स्वीकृत करने संबंधी निर्देश जारी किया गया है तथा चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिए एकरार पुनः विकल्प देने या पूर्व में दिया गया विकल्प परिवर्तन करने हेतु दिनांक 31 जुलाई, 2015 तक अंतिम अवसर दिया गया था।

2. विभिन्न विभागों एवं कर्मचारी संघों द्वारा चिकित्सा भत्ता सुविधा हेतु विकल्प परिवर्तन के लिए एक और अवसर देने की मांग की जा रही है। राज्य शासन द्वारा प्रकरण पर सहायपूर्ति पूर्वक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा

यह आदेश दिनांक 1.2.2013 से प्रभावशील होगा।

भत्ता सुविधा के लिए एकरार पुनः विकल्प देने या पूर्व में दिया गया विकल्प परिवर्तन करने हेतु दिनांक 30 सितंबर, 2018 तक एक अंतिम अवसर इस शर्त पर दी जाए कि दिनांक 30 सितंबर, 2018 के उपरान्त विकल्प परिवर्तन के किसी भी प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रशासकीय विभागों द्वारा भी ऐसे प्रस्ताव वित्त विभाग को विचारार्थ नहीं भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनर्तीक्षित विकल्प के आधार पर केवल विकल्प परिवर्तन संबंधी आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करने की तिथि के पश्चात् उद्भूत खर्चों का ही निराकरण किया जाएगा, उसके पूर्व की अवधि के दावों का भी कार्यालय में प्रस्तुत किये जाये हैं, पूर्व विकल्प के आधार पर ही निराकृत होंगे।

[वित्त विभाग क्र. 358/एन 2018-71-00036/वि/नि/चार, दिनांक 27-07-2018]

24. उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु दोहरा कार्य भत्ते का पुनरीक्षण -

वित्त विभाग के संदीर्घ शासन क्र. जी-25/10/94/सी/चार, दिनांक 28-12-1994 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को उच्च पद का भौतिक कार्य करने हेतु दोहरा कार्य भत्ता स्वीकृत करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त शासन को अधिकृत करते हुए निम्नानुसार समेकित निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. दोहरा कार्य भत्ता उसी स्थिति में देय होगा, जब किसी शासकीय सेवक को अपने कार्य के साथ-साथ अन्य उच्च रिक्त पद का कार्य करने का निर्देश दिया जाये तथा इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित, औपचारिक आदेश जारी किया जावे।
2. दोहरा कार्य भत्ता उच्च पद के 'ग्रेड वेतन' के 20 प्रतिशत के बराबर देय होगा।
3. उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने की अवधि 15 दिन से कम होने पर यह भत्ता देय नहीं होगा। किसी भी प्रकरण में इस भत्ते की अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
4. दोहरा कार्य भत्ता की पात्रता उन प्रकरणों में नहीं होगी, जहाँ उच्च पद निर्मित होने की तारीख से अथवा 1 वर्ष से अधिक अवधि से रिक्त हो।
5. दोहरा कार्य भत्ता की स्वीकृति का आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में जारी किया जायेगा।
6. यह भत्ता पे-बैंड-4 के पदों एवं इससे उच्च पदों पर कार्य निर्वहन करने की स्थिति में देय नहीं होगा।
7. दोहरा कार्य भत्ता स्वीकृत करने के पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्ष को होंगे।
8. यह आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होंगे। इन निर्देशों को विशिष्ट शासकीय सेवकों के प्रकरण में शिथिलीकृत नहीं किया जाएगा, अगर किसी विभागाध्यक्ष या किसी अन्य स्तर से शिथिलीकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो प्रशासकीय विभाग ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा।


वित्त निर्देश 14/2013

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 107/एफ-1005279/वित्त/नियम/चार/2013
प्रति,

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल, 2013

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, विलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।



विषय:-राज्य शासन के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करने बाबत ।

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा के कर्मचारियों को निम्नानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 4 (तीन) (ख) के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत ऐसे शासकीय सेवक जो बिन्दु क्रमांक (2) के अनुसार पात्रता नहीं रखते हैं, को 250 रूपये प्रतिमाह की दर से कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता की पात्रता होगी ।

(2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा के ऐसे सदस्यों को, जो हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 (Key) की-डिप्रेसन प्रतिघंटा की गति के संबंध में विभाग अथवा कार्यालय द्वारा आयोजित कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करते हो, उन्हें रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता की पात्रता होगी ।

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के यू.ओ. क्रमांक 136, दिनांक 28.03.2013 द्वारा सहमति दी गई है ।


यह आदेश दिनांक 1.2.2013 से प्रभावशील होगा ।

(एस0के0 चकवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग

- ज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई
कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक
आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्तव्यस्थ
अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर की ओर वित्त विभाग की वेबसाइट
www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग

जिसके अंतर्गत वेतन पुनरीक्षण नियम लागू होने की तिथि में यदि शासकीय सेवक को अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता थी तो वेतन निर्धारण हेतु अव्यवसायिक भत्ता पर देय महंगाई भत्ता शामिल करने का प्रावधान है।

2. राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि राज्य में कतिपय चिकित्सा अधिकारियों को अस्थाई रूप से प्रशासकीय पदों का प्रभार सौंपा जाकर अव्यवसायिक भत्ता स्वीकृत किया जाता है। कालान्तर में उनके स्थान पर नियमित नियुक्ति होने या अन्य कारणों से उनके प्रभार मुक्त होने पर उनकी अव्यवसायिक भत्ता की पात्रता समाप्त हो जाती है। किन्तु छतीसागढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत तत्स्थानी वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु शामिल किये गये अव्यवसायिक भत्ता के महंगाई भत्ता की राशि चिकित्सा अधिकारी के प्रशासकीय पद के प्रभार से हटाने के उपरांत भी मूल वेतन में शामिल रहती है।

3. राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि ऐसे चिकित्सा अधिकारी जो छतीसागढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत वेतन निर्धारण की तिथि पर किसी प्रशासकीय पद पर अस्थाई रूप से कार्यरत हैं अथवा प्रशासकीय पद पर कार्य करते हुए 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं किये हैं, उनका वेतन निर्धारण दोनों विधियों से अथवा सामान्य नियमों के अंतर्गत मूल वेतन के आधार पर एवं प्रशासकीय पद धारण करने के फलस्वरूप अव्यवसायिक भत्ते में देय महंगाई भत्ते को शामिल करते हुए अलग-अलग किया जाये। यदि भविष्य में ऐसे चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति पुनः किसी प्रशासकीय पद पर होती है, तो पूर्व में प्रशासकीय पद धारण की अवधि में प्राप्त वेतन के आधार पर वेतन निर्धारण किया जाएगा।

4. अव्यवसायिक भत्ते में देय महंगाई भत्ते के आधार पर की गई वेतन निर्धारण पर पेंशन की पात्रता हेतु प्रशासकीय पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करना अनिवार्य है। अतः ऐसे चिकित्सा अधिकारी को प्रशासकीय पद पर 5 वर्ष की कुल सेवा पूर्ण किये बिना सेवानिवृत्त होने पर अव्यवसायिक भत्ते में देय महंगाई भत्ता को शामिल करके की गई वेतन निर्धारण के आधार पर पेंशन की पात्रता नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में सामान्य नियमों के अंतर्गत मूल वेतन के आधार पर पेंशन की पात्रता होगी।

[वित्त विभाग क्र. 362/एफ 2019-53-01930/वि/चार, दिनांक 08-08-2019]

27. शिक्षक संवर्गों को विशेष गतिरोध भत्ता स्वीकृत करने बाबत :- राज्य शासन द्वारा प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के ड्रॉपिंग कैडर घोषित किये जा चुके शिक्षक संवर्गों के कार्यरत सभी सहायक शिक्षक, शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, व्याख्याता/प्रधान पाठक माध्यमिक शाला एवं प्राचार्यों को विशेष प्रकारण मानते हुए दिनांक 1-4-2013 से रुपये 6000/- प्रतिमाह विशेष गतिरोध भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

2. यह विशेष गतिरोध भत्ता नियम 9(21) के तहत वेतन के रूप में शामिल नहीं किया जायेगा तथा अन्य भत्ते या हितलाभ की गणना में भी शामिल नहीं किया जायेगा।
[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 99/एफ-1003875/वित्त/नियम/चार/12, दिनांक 1-4-2013]

28. राज्य शासन के विभिन्न वर्गीय कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रोसाहन भत्ता प्रदान करने बाबत :- राज्य शासन द्वारा छतीसागढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा के कर्मचारियों को निम्नानुसार कम्प्यूटर प्रोसाहन भत्ता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

- (1) छतीसागढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 के नियम 4(तीन)(ख) के अनुसार छतीसागढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत ऐसे शासकीय सेवक जो बिन्दु क्रमांक (2) के अनुसार पात्रता नहीं रखते हैं, को 250 रुपये प्रतिमाह की दर से कम्प्यूटर प्रोसाहन भत्ता की पात्रता होगी।
- (2) छतीसागढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा के ऐसे सदस्यों को, जो हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 (Kev) की-टिप्रेशन प्रतिघंटा की गति के संबंध में विभाग अथवा कार्यालय द्वारा आयोजित कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करते हों, उन्हें रुपये 500/- प्रतिमाह की दर से कम्प्यूटर प्रोसाहन भत्ता की पात्रता होगी।

यह आदेश दिनांक 1-2-2013 से प्रभावशील होगा।
[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 107/एफ-1005279/वित्त/नियम/चार/2013, दिनांक 3-4-2013]

उक्त परिपत्र के संदर्भ में राज्य शासन ने विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि उक्त कौशल परीक्षा का आयोजन वर्ष में एक बार किया जाएगा तथा कर्मचारियों को उक्त परीक्षा में शामिल होने हेतु अधिकतम तीन अवसर प्रदान किये जायेंगे।
[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 145/एफ-2015-71-00377/वि./नि./चार, दिनांक 14-8-2015]

29. वाहन चालकों को मोबाइल भत्ता प्रदाय करने बाबत :- राज्य शासन द्वारा नियमित/करीभारित/आकस्मिकता स्थापना एवं संविदा पर नियुक्त (दैनिक वेतन भोगियों को छोड़कर) वाहन चालकों को निम्न शर्तों के अधीन 200/- रु. प्रतिमाह की दर से मोबाइल भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :-

1. वाहन चालक के पास स्वयं का 'मोबाइल सेट' एवं 'सिम' होना चाहिए, जिसकी लिखित जानकारी मोबाइल नंबर सहित, स्वीकृतकर्ता अधिकारी को दिया जाएगा।
2. मोबाइल चालू हालत में होना चाहिए ताकि वाहन के प्रभारी अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार वाहन चालक से संपर्क स्थापित किया जा सके, अन्यथा प्रभारी अधिकारी की अनुपस्थिति पर मोबाइल भत्ता बंद/स्थगित किया जा सकेगा।
3. भत्ते का भुगतान नियमित तैत्तिक अवकाश की अवधि में भी किया जाएगा बशर्ते कि निरंतर अवकाश की अवधि 15 दिवस से अधिक न हो।


शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय,

महानदी भवन, रायपुर-492002

क्रमांक एफ 3-88/2011/गृह-दो
प्रति,

रायपुर, दिनांक 13/02/2015

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व भण्डल, विलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़।



विषय :- वर्दी सिलाई/धुलाई दरों का पुनरीक्षण।

—0—

राज्य शासन एतद्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रदाय किये जाने वाली वर्दियों की निर्धारित सिलाई/धुलाई दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित करता है। यह दरें आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगी :-

क.	वर्दी का नाम	विभागीय आदेश दिनांक 04.08.2011 द्वारा निर्धारित दर	वृद्धि पश्चात् पुनरीक्षित दर (प्रति नग)
01	02	03	04
1.	बटन अप कोट	रु. 130/-	रु. 250/- (रु. दो सौ पचास)
2.	ट्राउजर	रु. 80/-	रु. 135/- (रु. एक सौ पैंतिस)
3.	गांधी टोपी	रु. 15/-	रु. 40/- (रु. चात्तिस)
4.	पायजामा	रु. 40/-	रु. 60/- (रु. साठ)
5.	बुशर्ट/हाफ कोट	रु. 80/-	रु. 100/- (रु. एक सौ)
6.	गरम ऊनी कोट	रु. 600/-	रु. 750/- (रु. सात सौ पचास)
7.	ब्लाउज/सलुखा	रु. 40/-	रु. 50/- (रु. पचास)
8.	पेटीकोट	-	रु. 30/- (रु. तीस)

2/ वर्दी धुलाई भत्ता रु0 50/- के स्थान पर रु0 75/- प्रतिमाह की दर से देय होगा।

3/ इस पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग के प्रावधानित बजट के अंतर्गत विकलनीय होगा।

4/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के जाचक क्रमांक एफ-2014-02-00681/ब-1/धार/2015, दिनांक 22.01.2015 के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(11/02/15)
(पी0डी0पुरनिवा)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग

H.C. 11/02/15
22/01/15

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन क्र. 248/एल 2013-01-00151/वि/चार, दिनांक 2-6-2014 के तहत नया रायपुर में निवासरत कर्मचारियों को निःशुल्क बस सुविधा अथवा ब्राह्मण भत्ता दोनों में से किसी एक को चयन करने का विकल्प है। विकल्प न देने की स्थिति में यह माना जाएगा कि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निःशुल्क बस सुविधा का चयन किया गया है।

2. राज्य शासन द्वारा विचारोपरत निर्णय लिया गया है कि यदि कोई कर्मचारी मुफ्त बस पास सुविधा के विकल्प का परित्याग कर वाहन भत्ता का चयन करना चाहता है तो उसे ऐसी पात्रता दी जाए। उक्त विकल्प परिवर्तन की स्वीकृति का अधिकार शासकीय सेवक के कार्यालय प्रमुख को प्रत्यायोजित किया जाएगा है।

[वित्त विभाग क्र. 251/एफ 2018-01-01458/वि/चार, दिनांक 28-05-2018]

5. विकलांगों को वाहन भत्ता - ऐसे कार्यभारित एवं नियमित स्थापना के कर्मचारी जो कि दृष्टिहीन, मुक बाधित या मानसिक रूप से अल्पविकसित या अस्थिराश्रित या अन्य विकलांगों को कार्यस्थल तक आने जाने के लिए शासन द्वारा उनके मूल वेतन का 5% अर्थात् न्यूनतम रु. 300/- और अधिकतम रु. 500/- विकलांग वाहन भत्ता शीर्षक के अन्तर्गत भत्ता स्वीकृत होगा। जिसके लिये निम्न शर्तें लागू होंगी :-

- (1) अन्य भत्तों के अतिरिक्त यह भत्ता देय होगा।
- (2) ऐसे कर्मचारी वाहन भत्ते के लिए योग्य होंगे जो शरीर के ऊपरी या नीचे दोनों भागों में न्यूनतम 40% स्थायी या आंशिक रूप से विकृत हों।
- (3) यह भत्ता सिविल सर्जन के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के द्वारा देय होगा।
- (4) यह भत्ता दृष्टिहीन कर्मचारी को भी जिले के सिविल सर्जन के प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा।
- (5) यह भत्ता आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश अवधि या निलम्बन अवधि पर भुगतान योग्य नहीं होगा।
- (6) यह भत्ता 1 सितम्बर, 2010 से देय होगा।
- (7) इस भत्ते का आहरण कर्मचारी के कार्यालय कार्यालय से किया जाएगा। जिस प्रकार सामान्य वाहन भत्ते पर क्रिये गये न्यय की पूर्ति की जाती है।

[समाज कल्याण विभाग पत्र क्र. 977/116/2010/स.का./26, दिनांक 16-9-2010]

6. वाहन भत्ता राज्य परिवहन निगम के प्रतिनियुक्ति पर आवे कर्मचारियों के लिए - वित्त एवं योजना विभाग के ज्ञापन क्रमांक 592/19/वि/नि/चार/2003, दिनांक 28 जुलाई, 2003 द्वारा छत्तीसगढ़ मंत्रालय में पदस्थ तथा सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से छत्तीसगढ़ मंत्रालय में संपन्न तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिनांक 1-8-2003 से 100 रुपये प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता स्वीकृत किया गया है।

राज्य शासन द्वारा विचारोपरत निर्णय लिया गया है कि राज्य परिवहन निगम के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पूर्व कर्मचारी जो छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम में मंत्रालय स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, उन्हें भी 100 रु. प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाए। यह स्वीकृति आदेश जारी होने की तिथि से लागू होगा।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 37/1005/वि/नि/2004, दिनांक 28-1-2005]

7. रोकड़िया वगे नगद भत्ता - मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक ए-1/87/वि-2/चार/दिनांक 28-5-87 के अनुसार औसत मासिक वितरण नगद राशि पर भूरे को दर निम्नानुसार है :-

औसत मासिक वितरित नगद राशि	भत्ते की दर
रु. 10,000 तक	रु. 20 प्र.मा.
रु. 10,001 से 25,000 तक	रु. 30 प्र.मा.
रु. 25,001 से 50,000	रु. 40 प्र.मा.
रु. 50,001 से अधिक	रु. 50 प्र.मा.

8. वर्दी सिलाई/धुलाई भत्ता - छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-88/2011/गृह-वे, दिनांक 13 फरवरी, 2015 के ज्ञापन अनुसार आईता रखने वाले कर्मचारियों को वर्दी धुलाई भत्ता 75.00 रुपये प्रतिमाह भुगतान करने का आदेश प्रसारित किया है। यह भत्ता उन्हीं कर्मचारियों के लिए देय होगा जो नियमित रूप से कार्यालय में वर्दी पहनकर आते हों।

वर्दी सिलाई की दर - छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिये जाने वाले वर्दियों की सिलाई/धुलाई दर को आदेश जारी होने की तिथि अर्थात् दिनांक 13-2-2015 से संशोधित कर लागू किया -

क्रमांक	वर्दी का नाम	वृद्धि पश्चात् पुनरीक्षित दर (प्रति मा)
1.	बदन अप कोट	रु. 250/-
2.	ट्रोजर	रु. 135/-
3.	गाँधी टोपी	रु. 40/-
4.	पायजामा	रु. 60/-
5.	बुशर्ट/हॉफ कोट	रु. 100/-
6.	गरम ऊनी कोट	रु. 750/-
7.	ब्लाउज/सलूखा	रु. 50/-
8.	पैटकोट	रु. 30/-

[गृह (पुलिस) विभाग क्र. एफ 3-88/2011/गृह-वे, रायपुर, दिनांक 13-2-2015]



हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : exam@durguniversity.ac.in

वेब साइट : www.durguniversity.ac.in

दूरभाष : 0788-2359300

क्र. 1404 / परीक्षा / 2019

दुर्ग, दिनांक 13.09.2019

!! अधिसूचना !!

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 26वीं बैठक दिनांक 13.09.2019 में प्रस्ताव क्रमांक 04 में Ordinance No. 5 Conduct of Examinations (APPENDIX : Remuneration for Examination Work) का अनुमोदन किया गया है जो निम्नानुसार है:-

APPENDIX REMUNERATION FOR EXAMINATION WORK

			Approved Rate in Rs.
1.	The Scale of Remuneration of paper setter / examiners as follows viz:-		
(i)	For Ph.D., D.Sc. & D.Lit. examinations:		
(a)	Reading a Thesis for Ph.D.		2500
(b)	Practical and Viva-Voce examination for Ph.D.		1500
(c)	Reading a Thesis for D.Sc. or D. Litt.		3500
(d)	Practical and Viva-Voce examination for D.Sc. or D.Litt		1500
(ii)	For M.Phil, PG and PG Diploma Examinations:		
(a)	Setting a Question Paper	New pattern	With answer key 2000 Without answer key 1800
		Old Pattern	1000
(b)	Valuation of answer book	New pattern	25 (Min. 200)
		Old Pattern	15 (Min. 100)
(c)	(1) Reading the Thesis/Dissertation and Viva-Voce of a candidate for PG & PG Diploma Examination		120
	(2) Reading a project report/field work/field report of a candidate for PG & PG Diploma Examination		120
	(3) M. Phil Dissertation/Project Report Valuation and Viva-Voce.		100+50
(d)	Viva-Voce/Practical Examination of each candidate		15 (Min.500)
(iii)	For UG Examinations:		
(a)	Setting a Question Paper		900
(b)	Valuation of answer book		15 (Min. 100)
(c)	Conducting Practical Examination per Candidate to each Internal and External Examiners per Centre.		12 (Min. 500)

(iv) All Diploma/Certificate Courses:		
(a)	Setting a Question Paper	600
(b)	Valuation of each answer book	15 (Min. Rs.100)
(c)	Conducting Practical Examination of each candidate	12 (Min. Rs. 400)
(v) Miscellaneous:		
(a)	Remuneration to Head examiners per valuation day. This fee includes remuneration for drafting of instructions, issue of models etc. No. separate fee to be paid for drafting of instructions.	400
(b)	Drafting detailed memorandum of instructions for Co-examiners (Where no model answer are sent by head examiner and the answer books examined by Co-examiners are not re-examined by head examiner)	600
(c)	For supplying more than two but not exceeding six copies of question papers in addition to the required number of two.	100
(d)	For translation of paper from English to Hindi medium or other Indian Language and Vice-Versa.	200
Note :-		
(a)	If a paper is set by two examiners the remuneration shall be divided equally between them excepting in B.Ed.	
(b)	If a paper for an examination consists of two sections, both of which are compulsory, the remuneration payable for examine each answer book in a section shall be half the remuneration prescribed for examining each answer book in the full paper.	
(c)	(1) The answer books weighing two or more than two or more than two kilograms will be sent by the examiners to the university by railway and the railway freight charged thus incurred by the examiner in sending the packets will be paid by the university.	
	(2) The actual postal expenses incurred by the examiners in sending the packets of answer book less than two kilogram and also the award list to the university shall be paid by the university.	
	(3) Amount payable to the local examiners for bringing or sending the answer-books and award lists to the university shall be	Rs. 100
(d)	Remuneration for re-examination of answer book (for revaluation) to each examiner	40 Rs. (Min.Rs. 100.00)

2. THE FOLLOWING SHALL BE THE RATES OF REMUNERATIONS FOR THE WORK RELATING TO DECLARATION OF RESULTS AND ISSUE OF STATEMENT OF MARKS OBTAINED EXAMINEES VIZ:-

(i) (a) Tabulation of result per hundred candidates	100 (Min. 100.)
(b) Collation of results per hundred candidates	80 (Min. 80)
(c) Checking /Scrutinizing per hundred candidates	40 (Min. 40)
(ii) For writing of statement of marks-each marks sheet.	1
(iii) For Checking / Scrutinizing of statement of marks- each mark sheet	1
(iv) For writing of each Degree /Diploma / Certificate	5
(v) For Checking / Scrutinizing of Degree/Diploma/Certificate - each Checker/scrutinizer.	2

3. Maximum remuneration that a single person shall be entitled to draw from the university in respect of one academic session for any or all of the work mentioned under paragraph 1 above shall be Rs. 50000

(All excess amount over and above the said limit shall lapse to the university.*)

* Provided that where sufficient numbers of examiners are not available in any subject, the Vice-Chancellor may relax the maximum limit by Rs. 10000/- for reasons to be recorded in writing.

4. Unless specially permitted, deduction shall be made from the remuneration bills on account of the following :-

(i) Delay in dispatch of foil/counter foils or marks to be the Registrar for each day of delay.	15
(ii) Delay in return of answer books for each day of delay Rs.	15
(iii) Delay in the dispatch of the report on the examination for each day of delay Rs.	15
(iv) Entry of marks against wrong Roll Number- per mistake Rs.	15
(v) Wrong entry of marks (e.g. 35 instead of 25)- per mistake Rs.	15
(vi) If marks in award list differ from those shown on the answer books- per mistake Rs.	20
(vii) Omission to enter marks in award list although answer books sent- per mistake Rs.	15
(viii) Omission to mark a question or part of question - per mistake Rs.	15
(ix) Mistake in totaling of marks- per mistake Rs.	15

Note :-

- | | |
|---|----|
| (a) If any examiner commits more than three mistakes under any of the categories mentioned in the foregoing paragraph or if any examiner commits mistake or mistakes by which the result of a candidate is affected, his work shall be deemed as unsatisfactory and the matter may be placed before the Executive Council for any action deemed proper. | |
| (b) Deductions from the bill of tabulators for each mistake made by the tabulator shall be | 15 |

5. THE FOLLOWING SHALL BE THE RATES OF REMUNERATION PAYABLE TO PERSONS ENGAGED IN WORK RELATING TO UNIVERSITY EXAMINATION AT A CENTRE VIZ :-

(A) THEORY

(a) Senior Superintendent (Principle): Per Shift (presence of the principal during the entire period of examination)	300 (Max. 500 per day)
(b) Superintendent: Per Shift	200 (Max. 400 per day)
(c) Assistant Superintendent: Per Shift	150 (Max. 300 per day)
(d) Invigilator : Per Shift	120
(e) Class III and Class IV staff of the college./Deptt. engaged in examination work at a centre (per candidate for the total number of the candidate actually admitted to the examination at the centre to be distributed by the Centre Superintendent.)	6 and 4 respectively
(f) Lumpsum grant payable (per candidate registered) to the examination center to cover expences on all contingent items. (The Principal/Head of the concerned, institution shall send a utilization certificate in this respect to the university.)	6 (Min. Rs. 1500 per centre.)

(B) PRACTICAL :

Laboratory staff engaged in connection with practical examinations- (per candidate for the total number of the candidate actually admitted to the examination at the centre.)	6
---	---

(C) Others:


(a) Forwarding of examination form (Officer and his staff per application form Forwarded.)		30
(b) For supplying all necessary materials for practical examination (in subjects where needed) Science and Home Science Namely vegetables, chemical, dissection, animals, plant, raw material etc., the principal of the college concerned will be paid contingent charges for per candidate actually appeared in the examination. For which Principal will have to issue an official receipt.	UG Exam.	2
	PG Exam.	4

6. In case of a work for which no remuneration has been prescribed in The foregoing paragraphs, the rate therefore shall be determined by the Kulpati.

S.No.	Nature of Confidential Work	Item ordinance 5-17 to which this work is considered EQUIVALENT	Revised rates of Remuneration
1.	To prepare the list of carry forward marks of candidates appearing for various examinations.	Writing of statement marks.	Per candidate
2.	Corrections in chart (including corrections for declaration of withheld results)	Writing of statement marks.	Per candidate
3.	To put the correct Roll Nos. on award for practical's	Collection of Results	Per candidate
4.	To write the foils and counter foils for marks awarded in Central Valuation.	Collation of Result	Per candidate
5.	Posting of UFM and Revaluation cases & declaration of their results.	Tabulation	Per candidate
6.	Scrutiny of Answer Books.	-	Per candidate

Note :- The Above rates shall apply from the semester examination December 2018


आदेशानुसार,


कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्र. 1405/परीक्षा/2019
प्रतिलिपि:-

दुर्ग, दिनांक : 29/03/2019

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।
5. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
6. समस्त विभागीय अधिकारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनाार्थ।


उपकुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

क्र.	विन्दु	स्पष्टीकरण
1.	बस्तर भत्ता की गणना हेतु द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी किसे माना जावे।	छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के शासन क्रमांक एफ 17-1/08/1/3 दिनांक 22 सितंबर, 2008 द्वारा राजपत्रित अधिकारी घोषित करने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है, जिसके अनुसार सीधी भरती और पदोन्नति से भरे जाने वाले वेतनमान 6500-10500 (वर्तमान 9300-34800 वेतन बेंड में 4400 ग्रेड वेतन) के पदों को राजपत्रित सेवा श्रेणी दो घोषित किया गया है, अतः उक्त वेतनमान में सीधी भरती या पदोन्नति से नियुक्त शासकीय सेवक बस्तर भत्ता की गणना हेतु द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी माना जाएगा।
2.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6-36/प्रशावि/22-2/2013, दिनांक 17-5-2013 द्वारा 8 (आठ) वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके सहायक शिक्षक (पंचायत), शिक्षक (पंचायत) एवं व्याख्याता (पंचायत) को शासकीय शिक्षक के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत किया गया है। क्या उन्हें भी 'बस्तर भत्ता' की पात्रता होगी।	नहीं। उक्त आदेश केवल शासकीय सेवकों के लिए है, अतः पंचायत शिक्षकों को लागू नहीं होगा।

[वित एवं योजना विभाग क्र. 386/एल-2013-56-00005/वि/नि/चार, दि. 6-9-13]

23. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा - विस विभाग के संदर्भित शासन 145/एफ-2015-21-00650/वि/नि/चार, दिनांक 14-5-2015 द्वारा राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के एवज में चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम के अंतर्गत देय प्रतिपूर्ति के स्थान पर विकल्प के आधार पर रूपये 200/- प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता स्वीकृत करने संबंधी आदेश जारी किया गया है तथा चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिए एकबार पुनः विकल्प देने या पूर्व में दिया गया विकल्प परिवर्तन करने हेतु दिनांक 31 जुलाई, 2015 तक अंतिम अवसर दिया गया था।

2. विभिन्न विभागों एवं कर्मचारी संघों द्वारा चिकित्सा भत्ता सुविधा हेतु विकल्प परिवर्तन के लिए एक और अवसर देने की मांग की जा रही है। राज्य शासन द्वारा प्रकरण पर सहारुभूतिपूर्वक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा

भत्ता सुविधा के लिए एकबार पुनः विकल्प देने या पूर्व में दिया गया विकल्प परिवर्तन करने हेतु दिनांक 30 सितम्बर, 2018 तक एक अंतिम अवसर इस शर्त पर दी जाए कि दिनांक 30 सितम्बर, 2018 के उपरान्त विकल्प परिवर्तन के किसी भी प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रशासकीय विभागों द्वारा भी ऐसे प्रस्ताव वित्त विभाग को विचारार्थ नहीं भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनर्शिक्षित विकल्प के आधार पर केवल विकल्प परिवर्तन संबंधी आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करने की तिथि के पश्चात् उद्भूत स्वत्वों का ही निराकरण किया जाएगा, उसके पूर्व की अवधि के दावे जो कभी भी कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हो, पूर्व विकल्प के आधार पर ही निराकृत होंगे।

[वित्त विभाग क्र. 353/एल 2018-71-00036/वि/नि/चार, दिनांक 27-07-2018]

24. उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु दोहरा कार्य भत्ते का पुनरीक्षण - वित्त विभाग के संदर्भित शासन क्र. जी-25/10/94/सी/चार, दिनांक 28-12-1994 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु दोहरा कार्य भत्ता स्वीकृत करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त शासन को अधिक्रमिण करते हुए निम्नानुसार संशुद्ध निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. दोहरा कार्य भत्ता उसी स्थिति में देय होगा, जब किसी शासकीय सेवक को अपने कार्य के साथ-साथ अन्य उच्च रिक्त पद का कार्य करने का निर्देश दिया जाये तथा इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित, औपचारिक आदेश जारी किया जाये।
2. दोहरा कार्य भत्ता उच्च पद के 'ग्रेड वेतन' के 20 प्रतिशत के बराबर देय होगा।
3. उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने की अवधि 15 दिन से कम होने पर यह भत्ता देर नहीं होगा। किसी भी प्रकरण में इस भत्ते की अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
4. दोहरा कार्य भत्ता की पात्रता उन प्रकरणों में नहीं होगी, जहां उच्च पद निर्मित होने की तारीख से अथवा 1 वर्ष से अधिक अवधि से रिक्त हो।
5. दोहरा कार्य भत्ता की स्वीकृति का आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा इस परिषद के राज्य संलग्न प्रपत्र में जारी किया जायेगा।
6. यह भत्ता पे-बैंड-4 के पदों एवं उससे उच्च पदों पर कार्य निर्वहन करने की स्थिति में देय नहीं होगा।
7. दोहरा कार्य भत्ता स्वीकृत करने के पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्ष को होंगे।
8. यह आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होंगे। इन निर्देशों को विशिष्ट शासकीय सेवकों के प्रकरण में शिथिलीकृत नहीं किया जाएगा, अगर किसी विभागाध्यक्ष या किसी अन्य स्त्रोत से शिथिलीकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो प्रशासकीय विभाग ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा।

4. नियमित स्थापना के वाहन चालकों के मोबाईल भते का आहरण #01 वेतन, 014-अन्य भते मद से तथा आकस्मिकता/कार्यभारित स्थापना के वाहन चालकों के भते आहरण संबंधित कर्मचारी के वेतन आहरण मद से किया जाएगा।

2. यह आदेश माह अगस्त 2013 से प्रभावशील होगा।
वित्त एवं योजना विभाग क्र. 275/एफ-2013-02-00144/वित्त/नियम/चर, दिनांक 17-7-2013।

30. न्यायिक सेवा प्रतिनिधुवित भत्ता - शासकीय सेवकों/न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए प्रतिनिधुवित भत्ता (विशेष वेतन) के लिए "बाह्य सेवा में प्रतिनिधुवित" अव्याय का अवलोकन करें।

25 छतीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013

न्याय एवं परिवार कल्याण विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ 21-05/2010/नौ/55, दिनांक 14 मार्च, 2013 - राज्य शासन के अधीन नियमित कर्मचारियों को चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार के विनियमन के लिये नियम बनाये गये हैं जो इस प्रकार हैं :-

1. लागू होना- (1) ये नियम किन पर लागू होंगे :-

- (क) राज्य शासन के नियंत्रणार्थन समस्त शासकीय सेक्टर, स्वयं वे शासकीय कार्य पर हों या प्रतिनिधुवित पर हों या प्राधिकरणार्थन हों या कृषि/उद्योग/वहन हों या निलम्बनार्थन हों या छतीसगढ़ राज्य के बाहर परदस्य हों,
- (ख) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मचारी,
- (ग) प्रशिक्षणार्थन या कार्यव्यय नगर सैनिक,
- (घ) आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले पूर्वकालिक कर्मचारी,
- (ङ) समस्त विभागों या राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई परिवेदनार्थन में नाकिक वेतन पर निरंतर निर्याजित कार्यभारित स्थापना (बर्क-चार्ज स्टैंडबयस्टैंड) के सदस्य,

(च) अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ विरुद्ध भारत संघ, ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 1752 के प्रकरण में भारत के मन्तव्य उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, विधि विभाग द्वारा समन-समय पर बनाये गये नियमों/जारी आदेशों/उपन्यायों के अधीन रखे हुए न्यायिक अधिकारी।

(2) ये किन पर लागू नहीं होंगे :-

- (क) सेवानिवृत्त कर्मचारी,
- (ख) अशकालिक कर्मचारी,
- (ग) राज्य शासन के अधीन कार्य करते अवैतनिक (मदर) कर्मचारी,
- (घ) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी,
- (ङ) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य।

2. परिभाषाएँ-

(क) "प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक" नियम 3(ब) के अंतर्गत तथा परिभाषित चिकित्सा अधिकारी;

1. छतीसगढ़ राज्यपर (असाधारण) दिनांक 3-4-2013, पृष्ठ 267-268(19) पर प्रकाशित दिनांक 3-4-2013 से प्रभावी।

गाय में वह नियोग्यता अपवादिक प्रकृति की होनी चाहिए, तथा (तीन) यह कि, प्राधिकृत चिकित्सा परियारक द्वारा सिफारिश की गई अनुपस्थिति की अवाधि अंशतः इस नियम के अधीन अवकाश द्वारा, आच्छादित हो, तथा अंशतः अन्य प्रकार के अवकाश द्वारा तथा अर्जित अवकाश नीति तरह, अवकाश वेतन के बराबर अवकाश वेतन पर स्वीकार्य विशेष नियोग्यता अवकाश की मात्रा 120 दिनों से अधिक नहीं होगी।

40-क. विशेष नियोग्यता अवकाश स्वीकृति की शक्ति — नियम 39 एवं 40 के अधीन विशेष नियोग्यता अवकाश की स्वीकृति से संबंधित सभी मामलों तत्संबंधित प्रशासनिक विभाग को सहमति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

41. विशेष नियोग्यता अवकाश तथा अध्ययन अवकाश के अलावा अवकाश मंजूर करने की शक्ति — (1) विभागों में सेवारत शासकीय सेवकों के मामले में विशेष नियोग्यता अवकाश तथा अध्ययन अवकाश के अलावा अन्य अवकाश स्वीकृति हेतु प्रशासकीय विभाग, अवकाश स्वीकारकर्ता प्राधिकारी को पर्याप्त कर सकता है तथा वह यह भी निर्धारित कर सकता है कि ऐसे प्राधिकारी कितनी सीमा तक एवं कितने शर्तों के अधीन अवकाश स्वीकृति कर सकते हैं।

(2) उप-नियम (1) में उल्लेखित के अलावा, अवकाश के सभी मामलों, प्रशासकीय विभाग को निर्दिष्ट किये जायेंगे।

अध्याय - छ: — अध्ययन अवकाश

42. अध्ययन अवकाश स्वीकृति की शर्तें — (1) इन नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्ययन रहते हुए, किसी शासकीय सेवक को लोक सेवा की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये भारत में अथवा भारत के बाहर किसी विशिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रम, जिसमें किसी व्यावसायिक या तकनीकी विषय में उच्चतर शिक्षा या विशेषीकृत प्रशिक्षण शामिल है तथा जिसकी उसके कार्यक्षेत्र से सीधा और निकट संबंध है, के लिये अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(2) अध्ययन अवकाश निम्न हेतु भी स्वीकृत किया जा सकता है —

- (एक) ऐसा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या अध्ययन यात्रा हेतु, यदि ऐसा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या अध्ययन यात्रा को लोकाहित को दृष्टि से शासन के लिये निरविवत लाभ का होना प्रमाणित किया गया हो तथा शासकीय सेवक के कार्यक्षेत्र से संबंधित हो जिसमें शासकीय सेवक किसी नियमित शैक्षणिक अथवा अधः शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल न भी हुआ हो; और
- (दो) लोक प्रशासन के स्वरूप या पृष्ठभूमि से संबंधित अध्ययन के प्रयोजनों के लिए निम्न शर्तों के अधीन कि —
- (क) विशिष्ट अध्ययन या अध्ययन-यात्रा अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए; और
- (ख) शासकीय सेवक से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि अपनी वापसी

छतीसागढ़ स्थित सेवार्थ (अवकाश) नियम, 2010

पर उसके द्वारा अध्ययन अवकाश की अवाधि में किये गये कर्तव्यों का

431

(तीन) ऐसे अध्ययन हेतु जिसका शासकीय सेवक के कार्य के साथ सीधा और निकट संबंध नहीं है, किन्तु उसका ज्ञान इस प्रकार विकसित हो कि एक लोकसेवा के रूप में उसकी योग्यता बढ़ने में सहायक हो और वह अपने आप को अधिक सुसज्जित महसूस कर सके।

(3) अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि —

- (एक) प्रशासकीय विभाग द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जाये कि प्रस्तावित अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण लोकाहित को दृष्टि से निरविवत लाभकारी होगा; (दो) यह शैक्षणिक अथवा साहित्यिक विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों के अध्ययन के लिये न हो;

परन्तु यह कि किसी विशेषज्ञ या तकनीकी व्यक्ति को, प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधारे पर ऐसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये जिसका उसके कार्यक्षेत्र के साथ सीधा संबंध हो, अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, यदि संबंधित विभाग के सचिव द्वारा वह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अध्ययन पाठ्यक्रम उस विशेषज्ञ या तकनीकी व्यक्ति को, यथास्थिति, उसके कार्यक्षेत्र में होने वाले आधुनिक विकास के साथ जोड़े रखने में सहायक होगा, उसके तकनीकी स्तर तथा योग्यता में सुधार लायेगा और इस प्रकार से विभाग को पर्याप्त लाभ मिलेगा।

(तीन) यदि ऐसा अवकाश भारत के बाहर के लिये है, तो, भारत शासन वित्त कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, अध्ययन अवकाश को स्वीकृति सहित विदेशी मुद्रा विमुक्त करने के लिये सहमत हो।

(4) ऐसे विषय हेतु जिनके अध्ययन के लिये भारत में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है भारत के बाहर के लिये अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(5) अध्ययन अवकाश ऐसे नियमित शासकीय सेवक को स्वीकृत किया जा सकेगा, जो—

- (एक) परिवर्षा अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण कर चुका है और परिवर्षा अवधि तथा तदर्थ रूप से को गई सेवा को शामिल करते हुये शासन के अधीन कम से कम पांच वर्ष को नियमित सेवा कर चुका है;
- (दो) अवकाश समाप्त होने के पश्चात् अपने कर्तव्य पर लौटने की संभावित तिथि से तीन वर्ष के भीतर अर्हताधिकी आयु पर पहुंचने वाला न हो;
- (तीन) अवकाश समाप्त होने के बाद तीन वर्षों तक शासकीय सेवा करने की वचनबद्धता हेतु नियम 49 में दिये गये अनुसार एक वंशधर निष्कारित करता है।

13

वित्त निर्देश 15/2016

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 203/एफ 2016-16-00155/वि./नि./चार नया रायपुर, दिनांक 25/05/2016
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय :- छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन।


छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के नियम-38 में यह प्रावधान है कि प्रसूति अवकाश इसके प्रारंभ होने की तिथि (date of commencement) से 180 दिन तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया जा सकता है। परीक्षण हेतु प्राप्त एक प्रसूति अवकाश के प्रकरण में वित्त विभाग से यह अपेक्षा की गई है कि उक्त नियम में 'प्रारंभ होने की तिथि' का आशय स्पष्ट किया जाये।

वित्त विभाग द्वारा विचारोपरांत यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रसूति अवकाश में प्रसूति के दिन को शामिल करते हुए गर्भावस्था की अवधि भी शामिल है, किन्तु ऐसा अवकाश प्रसूति की तिथि से 180 दिन के पश्चात्वर्ती किसी अवधि हेतु स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार स्पष्टीकरण को शामिल करने हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन किया गया है। संशोधन संबंधी अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

(संलग्न उपरोक्तानुसार)


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस.के. चक्रवर्ती) 25/5/2016
संयुक्त सचिव

पृ. क्रमांक 204/एफ 2016-16-00155/वि./नि./चार नया रायपुर, दिनांक 25/05/2016

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर ।
 2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
 3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
 4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
 7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
 8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर ।
 9. सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर ।
 10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
 11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
 12. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर ।
 13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, मंत्रालय, नया रायपुर ।
 14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
 15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
 16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
 17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
 18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
 19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
 20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
 21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(अतुल कुलश्रेष्ठ)
शोध अधिकारी,
वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 25 मई, 2016

क्रमांक 205/एफ 2016-16-00155/वित्त/नियम/चार :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-


संशोधन

उक्त नियमों में:-

नियम 38 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(1) किसी महिला शासकीय सेवक जिसकी दो से कम जीवित संतानें हैं, को 180 दिन तक की अवधि के लिये प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अवकाश अवधि में गर्भावस्था की अवधि तथा प्रसूति का दिन भी शामिल होंगे किन्तु ऐसा अवकाश प्रसूति की तिथि से 180 दिन की पश्चात्पूर्ती किसी अवधि हेतु स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसी अवधि में वह उस वेतन के समतुल्य अवकाश वेतन की पात्र होगी जो उसने अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित किया है।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

Government of Chhattisgarh
Department of Finance
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

NOTIFICATION

Naya Raipur, dated 25 May, 2016

No. 205/F -2016-16-00155/F/R/IV :: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010, namely:--


AMENDMENT

In the said rules:--

For sub-rule (1) of rule 38, the following shall be substituted, namely:--

"(1) A female government servant who has less than two surviving children, may be granted **maternity leave** for a period of up to 180 days. The period of leave shall include the period of pregnancy and the day of delivery but such leave shall not be granted for any period beyond 180 days from the date of delivery. During such period, she will be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave."

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh


(S.K. Chakraborty) 25/05/2016
Joint Secretary

केलेखर वर्ष में 13 दिन के बजाय 16 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है। यह नियम शासकीय मद्राशालय के तथा अन्य विभागों के उन विधिक-वर्गीय कर्मचारियों को लागू नहीं है जो कारखाना अधिनियम तथा क्रम कानूनों से शासित होते हैं।

[सा.प्र.वि. क्र. 2378-3125/(13)/66, दिनांक 30-11-1996]
सांख्यिक/सामान्य अवकाश को जो आकस्मिक अवकाश की अवधि के पहले या बाद में पड़े, उन्हें आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार यदि ये अवकाश आकस्मिक अवकाश के पथ में आ रहे हैं तो उन्हें आकस्मिक अवकाश के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा।

[सा.प्र.वि. क्र. 2942-2068-1 (3)/60, दिनांक 13-12-1960]
परीस्ट स्कूल के प्रशिक्षार्थियों, चिकित्सा अधिकारियों एवं जन शाला में प्रशिक्षण के लिए भेजे गये अधीनस्थ वन सेवा के व्यक्तियों को वर्ष में 19 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है, जिसमें से शिबिर अर्थात् समाप्त होने पर विश्रान्तकाल के रूप में एक समय में 14 दिन तक का अवकाश दिया जा सकता है।

[सा.प्र.वि. क्र. 1511-सी-आर-763-1 (3)/58, दिनांक 15-7-1958]
लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को उत्तर पुस्तिकाओं के केन्द्रीय मूल्यांकन में उपस्थित होने वाले परीक्षकों को अधिकतम 10 दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश की पात्रता है।

[सा.प्र.वि. क्र. 679/3321/(3)/82, दिनांक 30-10-1982]
4. आकस्मिक अवकाश उपयोग की अधिकतम सीमा :-

आकस्मिक अवकाश एक समय में आठ से अधिक दिन का मंजूर नहीं किया जा सकता है।

5. स्वीकृति की अन्य शर्तें :-

आकस्मिक अवकाश पर्याप्त कारणों पर ही स्वीकार किया जाना चाहिये और पारता से अधिक हो जाने पर पात्रतानुसार अन्य प्रकार के निर्धारित अवकाश में बदल दिया जाना चाहिये। आकस्मिक अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। आकस्मिक अवकाश किसी अन्य निर्धारित अवकाश के साथ नहीं लिया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश वेकेशन के साथ अथवा कार्यग्रहण काल के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता है।

6. स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी :-

कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ सभी राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों का आकस्मिक अवकाश स्वीकार करने के लिये सक्षम है। (सामान्य पुरतक परिपत्र भाग दो, क्रमांक-6 कीडका 4, 5 एवं (6) कार्यालय प्रमुखों के आकस्मिक अवकाश उनके वारिष्ठ अधिकारी स्वीकृत करेंगे। कार्यालय प्रमुख अपने यह अधिकार किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी को सौंप सकते हैं।)

[सा.प्र.वि. क्र. 342/537/एफ.ओ.एम. दिनांक 21-8-71]

7. परिवार नियोजन-विशेष आकस्मिक अवकाश :-

(1) परिवार नियोजन आप्रेशन करवाने वाले पुरुष शासकीय सेवकों को छः दिन का विशेष अवकाश मिलने की पात्रता है।

[सा.प्र.वि. क्र. 2323/2096/1 (3), दिनांक 13-11-59]
(2) नौज पार्लर डी.टी. (जो प्रसूति अवकाश के बाद/प्रसव के तत्काल के बाद के दिनों के अलावा अन्य कर्म होती है) के लिये महिला कर्मचारी को 14 दिन का विशेष अवकाश देय है। यह शर्तें दिनांक 4-10-66 से प्रभावशील है।

[सा.प्र.वि. क्र. 2037-सी.आर. I (H) 66, दिनांक 4-10-66]
(3) दो या अधिक शीकृत बच्चों होने पर प्रसूति अवकाश नहीं मिलता, परन्तु ऐसी प्रसूति के बाद आप्रेशन कराया जाता है, तो महिला कर्मचारी को 14 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता

[सा.प्र.वि. क्र. 1073/555/1 (3), दिनांक 19-5-70]
(4) पत्नी के परिवार नियोजन आप्रेशन कराने पर कर्मचारी पति को चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर सात दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त हो सकेगा।

[सा.प्र.वि. क्र. 1557-सी.आर. 207-3, दिनांक 19-5-70]
(5) पुरुष कर्मचारी को पत्नी डी.टी. आप्रेशन असफल हो जाने पर यदि पत्नी का पुनः आप्रेशन किया जाता है, तो उसके पति कर्मचारी को दुबारा सात दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त होगा, चाहे ऐसा शल्य-क्रिया प्रायवर्त नासंग होना में कार्य पयो हो। परन्तु इस बाबत प्रमाण-पत्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक है।

[सा.प्र.वि. क्र. 820/386/1 (3), दिनांक 26-11-75]
(6) यदि पुरुष कर्मचारी को प्रथम शल्य-क्रिया असफल हो जाती है तो उसे दुबारा नसबन्दी कराने पर चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर पुनः छः दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देय है। इस छः दिन में परिवार, सार्वजनिक अवकाश एवं स्थानिय अवकाश सम्मिलित है।

[सा.प्र.वि. क्र. 820/386/1 (3), दिनांक 26-11-75]
(7) महिला कर्मचारी को प्रथम शल्य-क्रिया असफल हो जाने की स्थिति में दुबारा शल्यक्रिया कराने पर पुनः 14 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देने की पात्रता है, यह अवकाश चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत होगा। अन्य शर्तें पूर्व के प्रमाण दिनांक 26-11-75 के अनुसार पश्चात् लागू रहेंगी।

[सा.प्र.वि. क्र. 54-S2-1-3-76, दिनांक 12-2-76]
(8) जिस कर्मचारी को नसबन्दी हो चुकी है और वह कर्मचारी यदि अविवाहित है या उसके दो से कम बच्चे हैं या नसबन्दी कराने के बाद सभी बच्चों को नष्ट हो चुकी है और यदि वह दुबारा नस बुझवाना चाहता है, तो ऐसे कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अधिकतम 21 दिवस अथवा शल्यविक रूप से अस्पताल में रहने के दिनों के लिये, विश्रान्तकाल

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—(क) ये नियम "छत्तीसगढ़ कार्यभारित आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अवकाश नियम, 1977" कहलाएंगे।

(ख) ये नियम 1 जनवरी, 1974 से प्रभावी रहेंगे।

2. परिभाषाएँ—इन नियमों में—

(i) "कर्मचारी" से अभिप्रेत उस कर्मचारी से है जो किसी विभाग में छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता वेतनभोगी कर्मचारी सेवा का सदस्य है।

(ii) "स्थाई हैसियत रखने वाले कर्मचारी" से अभिप्रेत उस कर्मचारी से है जो किसी विभाग में छत्तीसगढ़ कार्यभारित एवं आकस्मिकता वेतनभोगी कर्मचारी भरती तथा सेवा शर्तों के नियमों के अधीन स्थाई कर्मचारी को हैसियत रखता है।

(iii) "लागूतार सेवा" में ड्यूटी तथा अर्जित अवकाश में व्यतीत अवधि शामिल है।

3. अवकाश का अधिकार—अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। अवकाश मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी लोकहित को आशय्यता को देखते हुए किसी भी समय अवकाश नमंजूर अथवा रद्द कर सकता है।

4. अर्जित अवकाश—स्थाई हैसियत रखने वाले कर्मचारी को अवकाश प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व उसके द्वारा कोई गई लागूतार सेवा वर्ष में 20 दिन की दर से तथा ऐसी हैसियत न रखने वाले कर्मचारी को वर्ष में 10 दिन की दर से अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। किन्तु स्थाई हैसियत रखने वाले कर्मचारी के प्रकरण में एक समय में अधिकतम संभव सीमा 120 दिन और अस्थाई कर्मचारियों के प्रकरण में 30 दिन के अवकाश की होगी।

5. प्रसूति अवकाश—किसी महिला कर्मचारी को चाहे वह स्थाई हो या अस्थाई, 45 दिन का प्रसूति अवकाश इस शर्त के अधीन स्वीकार्य होगा कि जिस महिला कर्मचारी के दो या अधिक जीवित बच्चे हैं उसे प्रसूति अवकाश स्वीकार्य नहीं होगा।

6. असाधारण अवकाश—विशेष परिस्थितियों में किसी एक अवसर पर अधिक से अधिक 90 दिन का असाधारण अवकाश किसी कर्मचारी को मंजूर किया जा सकता है।

7. अवकाश वेतन—जिस माह में अवकाश लिया जाता है उसके ठीक पूर्व वाले महीने में जिस दर से वेतन निकाला गया है उसी दर के बराबर कर्मचारी को अर्जित अवकाश तथा प्रसूति अवकाश में अवकाश वेतन की पात्रता होगी। असाधारण अवकाश में किसी प्रकार के अवकाश वेतन की पात्रता नहीं होगी।

आकस्मिकता की स्थिति में वर्ष में दिये जाने वाले आकस्मिक अवकाश का नियंत्रण अवकाश नियमों में नहीं किया जाता है, इसी प्रकार ऐच्छिक अवकाश, बिल्हे कर्मचारी के विकल्प पर उपयोग किया जा सकता है, भी अवकाश नियमों से परे है। इनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है :-

छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) वि

439

3. आकस्मिक अवकाश :-

(1) वर्तमान में प्रचलित नियमोंनुसार एक कलेण्डर वर्ष में (शैथिलिक इकाई को छोड़कर) 13 दिनों के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

(2) इसी प्रकार गैर अवकाश सेवा (पुलिस/चिकित्सा) के सेवकों के लिए आकस्मिक अवकाश 16 दिनों की होगी।

(3) शैथिलिक सेवा से जुड़े हुए शिक्षकों के लिए एक वर्ष में 13 दिनों की अवकाश की पात्रता होगी। जो 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि में लागू होगी।

(4) आकस्मिक अवकाश आठ दिनों के लिए भी स्वीकृत किया जा सकता है।

[सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 692/1098/1(3)/72/ दिनांक 25 अक्टूबर 1972]

(5) अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों को एक कलेण्डर वर्ष में 7 दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी वयतं वह अनुसूचित क्षेत्र में कम से कम छः माह की अपनी सेवा पूर्ण की हो।

(6) शासकीय मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश निम्न प्रकार स्वीकृत किया जा सकता है। जिसके लिए सेवक के सक्षम पदाधिकारी तथा पात्रता पर विचार किया जाना आवश्यक होगा।

(क) तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर अध्यक्ष एवं सचिव को एक वर्ष में अधिक से अधिक तीन दिन विशेष आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

(ख) संभाग एवं जिला स्तर पर अध्यक्ष एवं सचिव को एक वर्ष में अधिक से अधिक सात दिन विशेष आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

(ग) राज्य स्तर पर अध्यक्ष एवं महामंत्री को एक वर्ष में अधिक से अधिक दस दिन विशेष आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

[सामान्य प्रशासन के शासन क्रमांक एफ.10-37/98/1-1/कक/दिसंक-7-12-1998]

(7) आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले/कार्यभारित शासकीय सेवकों को आकस्मिक अवकाश एक वर्ष में 13 दिन आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी।

(8) नगरपालिका में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को एक वर्ष में 9 दिनों की सैलानिक अवकाश प्रमुख त्योहारों पर प्राप्त होगी।

लिपिक-वर्गीय शासकीय सेवक (आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को छोड़कर) बिल्हे माह के द्वितीय शनिवार को कर्तव्य पर उपस्थित रहना पड़ता है, को एक

अनाधिकृत अनुपस्थिति या कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही :-

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने संबंधी निर्देश संदर्भित परिपत्रों क्रमांक सी-6-3/2000/3/एक, दिनांक 02.02.2000 तथा सी-6-6/2000/3/एक, दिनांक 16.08.2000 द्वारा समन-समन पर जारी किये गये हैं। उक्त निर्देशों के अनुसार मूलभूत नियम-18 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आवरण) नियम, 1965 के नियम-7 के प्रावधानों के तहत अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे शासकीय सेवक, जो अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, को विभागीय जांच के दौरान निर्दोष न माना जाये, जो नहीं है, क्योंकि, ऐसा करने से वे निलंबन भते आदि की भांति करते हैं।

2. उक्त निर्देशों के अनुसार पुनः यह निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि जो शासकीय सेवक एक माह या उससे अधिक अवधि के लिए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, उनकी ऐसे अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को नियम 27 पेंशन नियम, 1976, सहित मूलभूत नियम 17-ए के अधीन सभी उद्देश्यों के लिए सेवा-व्यवधान माना जावे। ऐसे सेवकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावे। साथ ही, ऐसे शासकीय सेवकों को किसी प्रकार सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत "दीर्घासि" के लिए विभागीय जांच संस्थित की जावे एवं विभागीय जांच का निराकरण अधिकतम 6 माह की समयावधि में कर लिया जावे। आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाये अथवा सेवा से पदच्युत करने की शांति दी जावे।

3. अनाधिकृत अनुपस्थिति संबंधी उपपत्र कार्यावली 30 दिवस से कम अवधि के लिए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहने वाले अन्य कर्मचारियों के मामलों में भी की जानी चाहिए।

4. एक माह से अधिक अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को उनके अवकाश काल के दौरान के पते एवं गतिम ज्ञात पते दोनों पर ही इस अवधि का सूचना-पत्र भेजा जाना चाहिए कि वह 15 दिवस में कारण बताए कि क्यों न उनकी उक्त अनाधिकृत अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान गाने हुए पेंशन, उपदान आदि समस्त उद्देश्यों के लिए उनकी सेवा पुस्तिका में इन्द्राज किया जाए ? सेवा में व्यवधान को समस्त प्रयोजन, जिनमें पेंशन संबंधी लाभ भी सम्मिलित है, के लिए उनकी तब तक की गई शासकीय सेवा का हराग माना जाएगा।

5. आदेशानुसार कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे। जो अधिकारी इन निर्देशों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

[सा.प्र.वि. क्र. एक 3-1/2014/1-3, दिनांक 10-02-2015]

छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएँ (अवकाश) नियम, 2010

419

अध्याय - चार - देय और स्वीकार्य अवकाशों के प्रकार

25. विश्रामावकाश विभाग को छोड़कर, अन्य विभागों में सेवारत शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश - (1) (क) (एक) विश्रामावकाश विभाग को छोड़कर अन्य विभागों में सेवारत प्रत्येक शासकीय सेवक के अवकाश खाते में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में पहले जनवरी और पहले जुलाई को 15-15 दिनों की दो क्रियाओं में अग्रिम अर्जित अवकाश जमा किया जायेगा।

(ब) यदि कोई शासकीय सेवक पूर्ण पदग्रहण काल का उपभोग किये बिना निम्न कारणों से किसी नये पद को ग्रहण करता है -

(क) उसे अपने रक्तानुसार पूर्ण पदग्रहण काल का उपभोग किये बिना किसी नये स्थान पर नया पद ग्रहण करने हेतु अर्जित किया जाता है, अथवा

(ख) वह अर्जित नये पदस्थापना स्थल पर जाता है और पूर्ण पदग्रहण काल का लाभ उठाये बिना पद ग्रहण करता है और बाद में परिवार के लिए यात्रा भत्ता का दवा प्रस्तुत करने हेतु मान्य अवधि के भीतर अपना परिवार ले जाता है;

छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएँ (पदग्रहण काल) नियम, 1982 के नियम 5 के उप-नियम (4) के अधीन, अधिकतम 15 दिनों तक के यशस्वीकार्य पदग्रहण काल के दिनों की संख्या में से वास्तविक रूप से उपभोग किये गये दिनों की संख्या कम करते हुए, अर्जित अवकाश के रूप में उसके अवकाश खाते में समाकलित किया जायेगा:

परंतु इस प्रकार जमा हेतु स्वीकृत पदग्रहण काल के उपभोग नहीं किये जाने सहित उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश 300 दिनों से अधिक नहीं होगा।

(ख) पिछली छ-माहों की समाप्ति पर शासकीय सेवक के खाते में जमा अवकाश को इस शर्त के अध्वधीन रहते हुए आगामी छ-माहों में कैरी फोरवर्ड किया जायेगा कि इस प्रकार से कैरी फोरवर्ड किये गये अवकाश तथा छ-माहों में जमा अवकाश का योग 300 दिनों की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा।

परंतु यह कि जहां दिसंबर एवं जून के अंतिम दिन शासकीय सेवक के खाते में जमा अर्जित अवकाश 300 दिन या उससे कम किन्तु 255 दिन (पिछली छ-माहों के दौरान अर्जित अवकाश खाते में जमा पदग्रहण काल के उपभोग न किये जाने को छोड़कर) से अधिक है तो जनवरी एवं जुलाई की पहली तिथि को जमा 15 दिन का अर्जित अवकाश खंड (ख) के अधीन उल्लिखित रीति से अवकाश लेखे में जमा करने के स्थान पर, पूषक से रखा जायेगा एवं शासकीय सेवक द्वारा उस छ-माहों में लिये गये अर्जित अवकाश के विरुद्ध पहले समायोजित होगा, और यदि कोई शेष हो, तो उसे छ-माहों की समाप्ति पर इस शर्त के अध्वधीन कि ऐसा अर्जित अवकाश तथा पूषे से जमा अर्जित अवकाश का शेष 300 दिन की अधिकतम सीमा से अधिक न हो, अवकाश खाते में जमा किया जायेगा।

(2) यदि शासकीय सेवक, उस अर्थ कैलेंडर वर्ष के किसी भी शेष अंतिम दिन को अवकाश पर है तो वह उस प्रथम छ:माही पर जमा अर्जित अवकाश के लिए पात्र होगा, परंतु अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी के पास विश्वास करने का यह कारण हो कि शासकीय सेवक इसकी समाप्ति पर कर्तव्य पर लौट आयेगा।

(3) किसी शासकीय सेवक को एक समय में अधिकतम 180 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

26. अर्जित अवकाश की गणना — (1) किसी शासकीय सेवक के अवकाश खाते में, कैलेंडर वर्ष के जिस छ:माही में उसकी नियुक्ति है, में की जाने वाली संभावित सेवा के लिये प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह को सेवा हेतु 2 1/2 दिन की दर से अर्जित अवकाश जमा किया जायेगा।

(2) (क) जिस छ:माही के लिए शासकीय सेवक सेवानिवृत्ति होने वाला है अथवा वह सेवा से त्यागपत्र देता है, तो ऐसी सेवानिवृत्ति अथवा त्यागपत्र की तिथि तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह हेतु 2 1/2 दिन की दर से अर्जित अवकाश जमा किया जायेगा।

(ख) जब किसी शासकीय सेवक को सेवा से निकालित अथवा परच्युत किया गया हो अथवा सेवा में रहते हुये उसकी मृत्यु हो गई हो, तो उसके अवकाश खाते में, जिस कैलेंडर माह में उसे सेवा से निकालित अथवा परच्युत किया गया हो, अथवा सेवा में रहते हुये उसकी मृत्यु हो गई हो, से पिछली कैलेंडर माह को समाहित तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 2 1/2 दिन प्रतिमाह की दर से अर्जित अवकाश जमा किये जाने की अनुमति दी जायेगी।

(3) यदि किसी छ:माही में शासकीय सेवक द्वारा उसाधारण अवकाश का उपयोग किया गया हो तथा / या अनुपस्थिति की कुछ अवधि 'अर्काय दिवस' को तरह मानी गया हो, तो आगामी छ:माही के प्रारंभ पर उसके अवकाश खाते में जमा किये जाने वाले अवकाश में से, ऐसे अवकाश तथा / या अर्काय दिवस की अवधि का 1/10 वां भाग कम कर लिया जाएगा, किन्तु यह 15 दिन की अधिकतम सीमा के अन्वर्धन होगा।

(4) अर्जित अवकाश को खाते में जमा करते समय एक दिन के अणुपूर्णांक को निकटस्थ दिन में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् आधे से कम अणुपूर्णांक को छोड़ दिया जायेगा और आधे या उससे अधिक को एक दिन संगणित किया जायेगा।

27. विश्रामावकाश विभाग में सेवारत व्यक्तियों को अर्जित अवकाश — (1) (क) विश्रामावकाश विभाग में सेवारत व्यक्तिक के अवकाश खाते में प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को दो क्रिस्तों में पांच-पांच दिनों का अर्जित अवकाश अग्रिम जमा किया जायेगा।

(ख) यदि किसी छ:माही में विश्रामावकाश विभाग में सेवारत व्यक्तिक द्वारा असाधारण अवकाश का उपयोग किया गया हो तथा/या अनुपस्थिति की कुछ अवधि 'अर्काय दिवस' की तरह मानी गयी हो, तो आगामी छ:माही के प्रारंभ पर उसके अवकाश खाते में जमा किये जाने वाले अवकाश में से ऐसे अवकाश तथा/या अर्काय दिवस की अवधि का 1/30 वां भाग कम कर दिया जायेगा, किन्तु इसकी अधिकतम सीमा 5 दिनों के अन्वर्धन होगी।

(ग) विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत व्यक्तियों को जिस छ:माही में नियुक्ति / सेवा समाप्ति होती है, उसकी नियुक्ति सेवा समाप्ति की छ:माही में की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिये 5/6 दिन प्रतिमाह की दर से अर्जित अवकाश जमा किये जाने की अनुमति दी जायेगी।

(2) उप-नियम (1) के उपबंधों के अन्वर्धन, विश्रामावकाश विभाग में सेवारत शासकीय सेवक को उस वर्ष की सेवा के लिए, जिस वर्ष उसने पूर्ण विश्रामावकाश का उपयोग किया है उस वर्ष में कर्तव्य निर्वहन के लिए किसी भी अर्जित अवकाश को पात्रता नहीं होगी।

(3) (क) उस वर्ष जिसमें शासकीय सेवक विश्रामावकाश का आंशिक उपयोग करता है, अर्जित अवकाश को पात्रता 20 दिन के ऐसे अनुपात में होगी जो उपयोग न किये गये विश्रामावकाश के दिनों तथा संपूर्ण विश्रामावकाश के दिनों में हो।

(ख) यदि किसी वर्ष, शासकीय सेवक किसी विश्रामावकाश का उपयोग नहीं करता है तो उसे उस वर्ष के लिये अर्जित अवकाश को पात्रता नियम 25 के अर्धन होगी; उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुसार तब वर्ष के संतुल्य में अग्रिम जमा किया गया अर्जित अवकाश नियम 25 के अर्धन रूप प्रकार जमा किये गये अर्जित अवकाश के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

व्याख्या — इस नियम के प्रयोजन हेतु, 'वर्ष' शब्द का अर्थ उस कैलेंडर वर्ष से नहीं लगाया जायेगा, जिसमें कर्तव्य का निर्वहन किया गया है किन्तु विश्रामावकाश विभाग में किये गये 12 महीने के वास्तविक कर्तव्य निर्वहन से लगाया जायेगा।

(4) इस नियम के अर्धन विश्रामावकाश क्रिस्ती प्रकार के अवकाश के संयोजन अथवा निरंतरता में लिया जा सकता है, किन्तु लिया गया विश्रामावकाश एवं अर्जित अवकाश के कुल अवधि का योग चाहे अर्जित अवकाश के संयोजन अथवा निरंतरता में लिया गया हो या न हो, शासकीय सेवक को देय तथा नियम 25 के अर्धन एक समय में स्विकार्य अर्जित अवकाश से अधिक नहीं होगा।

(5) इस नियम के अर्धन पिछली छ:माही की समाप्ति पर शासकीय सेवक के अवकाश खाते में जमा अर्जित अवकाश को इस शर्त के अन्वर्धन आगामी छ:माही में कैरी फारवर्ड किया जायेगा जिस प्रकार से कैरी फारवर्ड किये गये अवकाश तथा छ:माही में जमा अवकाश का योग 300 दिनों की अधिकतम सीमा से अधिक न हो।

टिप्पणी — विश्रामावकाश विभाग में सेवारत व्यक्तिक को उपयोग न किये गये पराधारण काल के अंश को जमा करने की सुविधा, नियम 25 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (री) के प्रावधानों के अनुसार स्विकार्य होगा।

28. अर्धवर्षीय अवकाश -- (1) प्रत्येक शासकीय सेवक के अर्धवर्षीय अवकाश खाते में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की पहली जनवरी और पहली जुलाई को रूस-रूस दिनों के दो क्रिस्तों में अग्रिम अर्धवर्षीय अवकाश जमा किया जायेगा।

(2) (क) अवकाश खाते में, कैलेंडर वर्ष के जिस छ:माही में उसकी नियुक्ति हुई है, में की जाने वाली संभावित सेवा के लिये प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह को सेवा हेतु 5 / 3 दिन की दर से अवकाश जमा किया जायेगा।

(ख) जिस छःमाही में शासकीय सेवक का सेवानिवृत्ति होने वाला है अथवा सेवा से त्यागपत्र देता है, उसके खाते में ऐसी सेवानिवृत्ति अथवा त्यागपत्र की तिथि तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह हेतु 5/3 दिन की दर से अवकाश जमा किये जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) जब किसी शासकीय सेवक को सेवा से निष्कासित अथवा पदच्युत किया गया हो अथवा सेवा में रहते हुई उसकी मृत्यु हो गई हो, तो उसके अर्धवेतन अवकाश खाते में, जिस कैलेंडर माह में उसे सेवा से निष्कासित अथवा पदच्युत किया गया हो अथवा सेवा में रहते हुये उसकी मृत्यु हो गई हो, से पिछले कैलेंडर माह की समाप्ति तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 5/3 दिन प्रतिमाह की दर से अवकाश जमा किये जाने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) जहाँ किसी छःमाही में शासकीय सेवक की अनुपस्थिति अथवा निलंबन को कुछ अवधि 'अकार्य दिवस' की तरह मानी गयी हो, तो आगामी छःमाही के प्रारंभ पर उसके अर्धवेतन अवकाश खाते में जमा किये जाने वाले अवकाश में से ऐसे 'अकार्य दिवस' का 1/18 वां भाग कम कर दिया जायेगा, किन्तु इसकी अधिकतम सीमा 10 दिन के अध्वधीन होगी।

(3) शासकीय सेवक को इस नियम के अधीन, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अथवा निजी कार्य के लिये अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसा अवकाश, ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी से चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दिया जायेगा, जैसा कि शासन इस संबंध में सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा विहित करे तथा ऐसी अवधि से अधिक के लिए नहीं दिया जायेगा जो कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुशासित किया गया हो। ऐसा चिकित्सा अवकाश, स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को यह समाधान न हो जाये कि शासकीय सेवक के ऐसे अवकाश की समाप्ति पर कर्तव्य पर वापस सौटने को यथोचित संभावना है। व्यक्तिगत कार्यों से भी अर्धवेतन अवकाश तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि शासकीय सेवक ऐसे अवकाश की समाप्ति पर कर्तव्य पर वापस लौट आयेगा अथवा जब तक कि अवकाश की स्वीकृति, सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में अभिव्यक्त करते हुए शामिल न किया गया हो।

(4) अर्धवेतन अवकाश को जमा करते समय, किसी दिन के अपूर्णाक (अपूर्ण प्रभाग) को निकटस्थ दिन में पूर्णांकित किया जाएगा।

29. लघुकृत अवकाश — (1) किसी शासकीय सेवक को, केवल चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर, अर्धवेतन अवकाश के आधे से अनधिक लघुकृत अवकाश निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, स्वीकृत किया जा सकता है :

(एक) जब लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाये, तो देय अर्धवेतन अवकाश के विरुद्ध ऐसे अवकाश की दुगुनी संख्या विकलित की जायेगी;

(दो) जब तक अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि शासकीय सेवक इसकी समाप्ति पर कर्तव्य पर वापस लौटेंगा, लघुकृत अवकाश स्वीकार नहीं किया जायेगा;

(तीन) लघुकृत अवकाश सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(2) संपूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम 180 दिनों तक का अर्धवेतन अवकाश (चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये बिना) लघुकृत अवकाश में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है, जहाँ ऐसे अवकाश का उपयोग किसी ऐसे अनुमोदित कार्यक्रम के अध्वयन के लिये हो जिसे अवकाश स्वीकृत करने हेतु प्राधिकारी द्वारा लोकहित में होना प्रमाणित किया गया हो।

(3) जहाँ शासकीय सेवक जिसे लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया है, सेवा से त्यागपत्र देता है अथवा उसे उसके निवेदन पर सेवा में वापस लौटते बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है, के लघुकृत अवकाश को अर्धवेतन अवकाश के समान समझा जायेगा, तथा लघुकृत अवकाश एवं अर्धवेतन अवकाश के संबंध में अवकाश वेतन के मध्य के अन्तर की वसूली की जायेगी :

परन्तु ऐसी वसूली नहीं की जायेगी यदि सेवानिवृत्ति शासकीय सेवक की अस्वस्थता के कारण आगे की सेवा के लिये अनुपयुक्त होने के फलस्वरूप हुई हो अथवा उसकी मृत्यु हो गई हो।

30. अदेय अवकाश — (1) सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के प्रकारों को छोड़कर, किसी शासकीय सेवक को निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए अदेय अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है:—

(क) अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि शासकीय सेवक के ऐसे अवकाश पर वापस लौटने को यथोचित संभावना है;

(ख) अदेय अवकाश उस अर्धवेतन अवकाश तक सीमित होगा जो उसके द्वारा भविष्य में (तत्पश्चात्) अर्जित किया जाना संभावित है।

(ग) संपूर्ण सेवाकाल में अदेय अवकाश अधिकतम 360 दिनों तक सीमित रहेगा, जिसमें से एक समय में अधिकतम 90 दिन तथा कुल 180 दिनों से अधिक न हो का अवकाश चिकित्सा प्रमाणपत्र के अन्वया स्वीकृत किया जा सकता है।

(घ) अदेय अवकाश, शासकीय सेवक को अनुवर्ती सेवा अवधि में अर्जित होने वाले अर्धवेतन अवकाश के विरुद्ध विकलित किया जायेगा।

(2) (क) जब कोई शासकीय सेवक जिसे अदेय अवकाश स्वीकृत किया गया है, सेवा से त्यागपत्र देता है अथवा उसे उसके निवेदन पर सेवा में वापस लौटते बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है, तो उसका अदेय अवकाश निरस्त कर दिया जायेगा, उसका त्यागपत्र अथवा सेवानिवृत्ति उस तिथि से प्रभावशाल माना जावेगी जिस तिथि से ऐसा अवकाश प्रारंभ हुआ था तथा अवकाश वेतन को वसूली की जायेगी।

(ख) जब कोई शासकीय सेवक अदेय अवकाश का उपयोग कर कर्तव्य पर वापस लौटता है किन्तु ऐसा अवकाश अर्जित करने के पूर्व ही, वह सेवा से त्यागपत्र दे देता है अथवा

सेवानिवृत्त होता है, तो वह बाद में अर्जित न की गई अवकाश की सीमा तक अवकाश वेतन वापस करने के दायित्वाधीन होगा :

परंतु खंड (क) अथवा खंड (ख) के अधीन अवकाश वेतन की वसूली नहीं की जायेगी, यदि शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति अस्वस्थता के कारण आगे की सेवा के लिये अनुपयुक्त होने के फलस्वरूप हुई हो अथवा उसकी मृत्यु हो गई हो :

परंतु यह और भी कि खंड (क) अथवा खंड (ख) के अधीन अवकाश वेतन की वसूली नहीं की जायेगी, यदि शासकीय सेवक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 42(ख) के अधीन समयपूर्व अनिवार्य-सेवानिवृत्त किया गया हो, अथवा वह मूलभूत नियम 56(2)(क) के अधीन सेवानिवृत्त हुआ हो।

31. असाधारण अवकाश — (1) नियम 11 के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, शासकीय सेवक को निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में, असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है —

- (क) जब कोई अन्य प्रकार का अवकाश स्वीकार्य न हो, अथवा
- (ख) जब कोई अन्य प्रकार का अवकाश स्वीकार्य हो, किन्तु शासकीय सेवक असाधारण अवकाश स्वीकृत करने हेतु लिखित आवेदन दे।

(2) अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी ऐसे बिना अवकाश की अनुपस्थिति अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से असाधारण अवकाश में रूपांतरित कर सकता है। जब किसी अन्य प्रकार का अवकाश उस समय स्वीकार्य हो जिस समय बिना अवकाश अनुपस्थिति प्रारंभ हुई।

(3) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु उसके द्वारा दी गई सूचना को अवधि के दौरान शासकीय सेवक को असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(4) असाधारण अवकाश, अवकाश लेखा में विकलित नहीं किया जायेगा।

32. परिवीक्षाधीन, व्यक्ति जो परिवीक्षा पर हो तथा प्रशिक्षु को अवकाश — (1) (क) किसी परिवीक्षाधीन को इन नियमों के अधीन अवकाश की पात्रता होगी, यदि वह अपने पद को परिवीक्षा पर के अन्वया मौलिक रूप से धारण करता।

(ख) यदि, किसी कारण से, किसी परिवीक्षा व्यक्ति की सेवाएं समाप्त करना प्रस्तावित हो तो कोई अवकाश जो उसे स्वीकृत किया जाएगा निम्न अवधि से आगे के लिये नहीं होगा —

(एक) उस तिथि के बाद जिस तिथि तक परिवीक्षाधीन अवधि पहले से स्वीकृत है अथवा बढ़ाई गई अवधि समाप्त होती है, या

(दो) किसी ऐसी पूर्वतर तिथि के पश्चात् जिसमें उसे नियुक्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त की गई हों,

(2) किसी प्रशिक्षु को निम्नानुसार अवकाश का पात्रता होगी —

(क) चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अवकाश, अर्धवेतन के समान अवकाश वेतन पर उस अवधि के लिए जो प्रशिक्षुता के किसी वर्ष में एक माह से अधिक न हो;

(ख) नियम 31 के अधीन असाधारण अवकाश।

33. सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश — (1) किसी शासकीय सेवक को अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे देय अर्जित अवकाश की सीमा तक जो 300 दिन से अधिक न हो के साथ देय अर्धवेतन अवकाश को सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में लेने को अनुमति, इस शर्त के अधीन दी जा सकती है, कि ऐसा अवकाश सेवानिवृत्ति की तिथि तक के लिये हो तथा इसमें सेवानिवृत्ति तिथि शामिल हो।

(2) जहाँ शासकीय सेवक जो किसी स्थानीय निकाय अथवा निगम अथवा कम्पनी में अथवा उसके अधीन बाह्य सेवा पर हो जो पूर्ण रूप से अथवा अंशतः शासन द्वारा अंगीकृत अथवा नियंत्रित है अथवा शासन द्वारा नियंत्रित अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त है (इसमें इसके पश्चात् स्थानीय निकाय के रूप में निर्दिष्ट है) सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश की माँग करता है, अवकाश को स्वीकार करने अथवा नामंजूर करने का निर्णय राज्य शासन के अधीन उधार देने वाले प्राधिकारी की सहमति से बाह्य नियोजक द्वारा लिया जायेगा।

(3) जहाँ शासकीय सेवक उप-नियम (2) में उल्लेखित स्थानीय निकाय के अलावा किसी अन्य स्थानीय निकाय में अथवा उसके अधीन बाह्य सेवा में हो, तो उसे सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश की पात्रता तब होगी जब वह बाह्य नियोजक के अधीन सेवा से मुक्त होगा।

34. सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा सेवा त्यागने की तिथि के बाद अवकाश— किसी शासकीय सेवक को निम्न अवधि के बाद अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा—

- (क) उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि या
- (ख) उसकी अंतिम रूप से कर्तव्य विराम की तिथि, या
- (ग) उसकी सेवा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, उसके द्वारा उसको दी गई सूचना के द्वारा सेवानिवृत्ति लेने अथवा शासन द्वारा उसको दी गई सूचना या ऐसी सूचना के एवज में दिये वेतन एवं भत्तों के आधार पर सेवानिवृत्ति करने की तिथि, या
- (घ) उसकी सेवा से त्यागपत्र की तिथि।

35. सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्त व्यक्ति — सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्त व्यक्ति के प्रकरण में, इन नियमों के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि उसकी पुनर्नियुक्ति की तिथि पर शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति हुई हो।

36. अवकाश वेतन — (1) शासकीय सेवक जो अवकाश पर प्रस्थान करता है, को उसके अवकाश पर जाने के पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन को पात्रता होगी :

परन्तु यह कि, यदि कोई शासकीय सेवक भारत में बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए या किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रहते हुए या अपने मूल पद / संवर्ग में पदावनत होने पर बिना प्रत्यावर्तन पद पर कार्यभार ग्रहण किये हुए अर्जित अवकाश पर जाता है, तो उसे उस वेतन के बराबर अवकाश वेतन प्राप्त करने की पात्रता होगी, जो वह उसको उच्च पद पर नियुक्ति को छोड़कर अर्जित अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व प्राप्त करता।

(2) अर्धवेतन अवकाश अथवा अदेय अवकाश में रहने पर शासकीय सेवक को उप-नियम (1) में निर्दिष्ट राशि के आधे के बराबर अवकाश वेतन की पात्रता होगी।

(3) लघुकृत अवकाश पर रहने पर शासकीय सेवक को उप-नियम (1) के अंतर्गत स्वीकार्य राशि के बराबर अवकाश वेतन की पात्रता होगी।

(4) असाधारण अवकाश में रहने पर शासकीय सेवक को किसी प्रकार के अवकाश वेतन की पात्रता नहीं होगी।

(5) उस व्यक्ति के मामले में जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 34) लागू है, अर्जित अवकाश को छोड़कर, अवकाश अवधि में देय अवकाश वेतन में से उक्त अधिनियम के अंतर्गत तत्स्थानी अवधि के लिये स्वीकार्य लाभ को राशि कम कर दी जायेगी।

(6) (क) शासकीय सेवक जो सेवानिवृत्त हो रहा है अथवा सेवा से त्यागपत्र देता है, के प्रकरण में, यदि, पूर्व में उपभोग किया गया अवकाश उसके खाते में जमा अवकाश से अधिक होता है, तो अवकाश वेतन का आवश्यक समायोजन किया जायेगा, यदि कोई अधिक आहरण हो।

(ख) जहाँ शासकीय सेवक को सेवा से पदच्युत किया जाता है या हटाया जाता है या जिसकी सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाती है, यदि उसके द्वारा पूर्व में उपभोग किये गये अवकाश की मात्रा, नियम 26 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अधीन जमा हुये अवकाश से अधिक होती है, तो ऐसे प्रकरणों में अवकाश वेतन के अधिक भुगतान को बसूली की जायेगी।

(7) शासकीय सेवक जिसे पुनर्नियोजन अवधि के दौरान अर्जित किया गया अवकाश स्वीकृत किया गया है, ऐसे अवकाश अवधि के लिये इस नियम के अधीन स्वीकार्य अवकाश वेतन का पात्र होगा, जिसमें से पेंशन एवं के समतुल्य अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ को राशि को घटाया जायेगा।

37. अवकाश वेतन का आहरण — इन नियमों के अधीन भुगतान योग्य अवकाश वेतन का आहरण भारत में रुपये में किया जायेगा।

अध्याय - पांच — अध्ययन अवकाश से अतिरिक्त विशेष प्रकार के अवकाश

38. प्रसूति अवकाश — ¹[(1) किसी महिला शासकीय सेवक जिसको दो से कम जीवित संतानें हैं, को 180 दिन तक की अवधि के लिये प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अवकाश अवधि में गर्भावस्था की अवधि तथा प्रसूति का दिन भी शामिल होंगे किन्तु ऐसा अवकाश प्रसूति की तिथि से 180 दिन की परचात्पूर्व किसी अवधि हेतु स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसी अवधि में वह उस वेतन के समतुल्य अवकाश वेतन की पात्र होगी जो उसके अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित किया है।]

(2) ऐसा अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जायेगा।

(3) प्रसूति अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है।

1. छ.ग. शासन, वित्त विभाग क्रमांक 205/एफ 2016-16-00155/वित्त/नियम/चार, दिनांक 25-05-2016 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) किसी महिला शासकीय सेवक को (जीवित बच्चों की संख्या पर ध्यान दिये बिना) गर्भपात सहित गर्भस्त्राव के प्रकरणों में उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित अवधि तक के लिये पूरे सेवाकाल में अधिकतम पैंतालीस दिन की सीमा के अध्येतन रहते हुए, प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

38-क. पितृत्व अवकाश — (1) किसी पुरुष शासकीय सेवक को जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं उसकी पत्नी के प्रसवकाल के दौरान अर्थात् बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले अथवा बच्चे के जन्म से 6 माह की अवधि के भीतर अवकाश स्वीकृत हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा 15 दिनों की अवधि के लिये पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(2) ऐसे अवकाश की अवधि में शासकीय सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन का भुगतान किया जायेगा।

(3) पितृत्व अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जायेगा तथा किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।

(4) यदि पितृत्व अवकाश का उपभोग, नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसा अवकाश व्यपगत माना जायेगा।

टीप — इस अवकाश को सामान्यतः अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।

38-ख. दत्तक ग्रहण अवकाश — (1) किसी महिला शासकीय सेवक को जिसके दो से कम जीवित संतान हैं, एक वर्ष की उम्र तक का बच्चा वैधानिक रूप से गोद लेने पर 135 दिन (दत्तक लिये गये बच्चे की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने की तिथि तक सीमित) तक की अवधि के लिए दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसी कालावधि के दौरान वह अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन के लिए पात्र होंगे।

(2) दत्तक ग्रहण अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है।

(3) दत्तक ग्रहिता माता को, उसके आवेदन पर, 'दत्तक ग्रहण अवकाश' को निरंतरता में, दत्तक ग्रहण अवकाश की अवधि पर ध्यान दिये बिना वैधानिक रूप से दत्तक लेने की तिथि पर गोद लिये गये बच्चे की उम्र को कम करते हुए, एक वर्ष तक की अवधि के लिए उसे देय एवं स्वीकार्य अन्य प्रकार के अवकाश (अदेय अवकाश एवं बिना चिकित्सा प्रमाणपत्र के 60 (साठ) दिन तक के लघुकृत अवकाश सहित) स्वीकृत किया जा सकता है।

(4) दत्तक ग्रहण अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जाएगा।

[38-ग. संतान पालन अवकाश] — (1) इस नियम के उपबन्धों के अध्येतन रहते हुए, महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो प्पेष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि की संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

1. वित्त विभाग अधिसूचना क्र. एफ 2014-71-00183/वित्त/नियम/चार, दिनांक 4-10-2018 द्वारा जोड़ा गया।

सेवानिवृत्त होता है, तो वह बाद में अर्जित न की गई अवकाश की सीमा तक अवकाश वेतन वापस करने के दायित्वाधीन होगा :

परंतु खंड (क) अथवा खंड (ख) के अधीन अवकाश वेतन की वसूली नहीं की जायेगी, यदि शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति अस्वस्थता के कारण आगे की सेवा के लिये अनुपयुक्त होने के फलस्वरूप हुई हो अथवा उसको मृत्यु हो गई हो :

परंतु यह और भी कि खंड (क) अथवा खंड (ख) के अधीन अवकाश वेतन की वसूली नहीं की जायेगी, यदि शासकीय सेवक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 42(ख) के अधीन समयपूर्व अनिर्धार्य-सेवानिवृत्त किया गया हो, अथवा वह मूलभूत नियम 56(2)(क) के अधीन सेवानिवृत्त हुआ हो।

31. असाधारण अवकाश — (1) नियम 11 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, शासकीय सेवक को निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में, असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है —

(क) जब कोई अन्य प्रकार का अवकाश स्वीकार्य न हो, अथवा

(ख) जब कोई अन्य प्रकार का अवकाश स्वीकार्य हो, किन्तु शासकीय सेवक असाधारण अवकाश स्वीकृत करने हेतु लिखित आवेदन दे।

(2) अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी ऐसे बिना अवकाश की अनुपस्थिति अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से असाधारण अवकाश में रूपांतरित कर सकता है। जब किसी अन्य प्रकार का अवकाश उस समय स्वीकार्य हो जिस समय बिना अवकाश अनुपस्थिति प्रारंभ हुई।

(3) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु उसके द्वारा दी गई सूचना की अवधि के दौरान शासकीय सेवक को असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(4) असाधारण अवकाश, अवकाश लेखा में विकलित नहीं किया जायेगा।

32. परिवीक्षाधीन, व्यक्ति जो परिवीक्षा पर हो तथा प्रशिक्षु को अवकाश — (1)

(क) किसी परिवीक्षाधीन को इन नियमों के अधीन अवकाश की पात्रता होगी, यदि वह अपने पद को परिवीक्षा पर के अन्यथा मौलिक रूप से धारण करता।

(ख) यदि, किसी कारण से, किसी परिवीक्षा व्यक्ति की सेवाएं समाप्त करना प्रस्तावित हो तो कोई अवकाश जो उसे स्वीकृत किया जाएगा निम्न अवधि से आगे के लिये नहीं होगा —

(एक) उस तिथि के बाद जिस तिथि तक परिवीक्षाधीन अवधि पहले से स्वीकृत है अथवा बढ़ाई गई अवधि समाप्त होती है, या

(दो) किसी ऐसी पूर्वतर तिथि के पश्चात् जिसमें उसे नियुक्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा उसको सेवाएं समाप्त की गई हों,

(2) किसी प्रशिक्षु को निम्नानुसार अवकाश का पात्रता होगी —

(क) चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अवकाश, अर्धवेतन के समान अवकाश वेतन पर उस अवधि के लिए जो प्रशिक्षुता के किसी वर्ष में एक माह से अधिक न हो;

(ख) नियम 31 के अधीन असाधारण अवकाश।

33. सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश — (1) किसी शासकीय सेवक को अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे देय अर्जित अवकाश की सीमा तक जो 300 दिन से अधिक न हो के साथ देय अर्धवेतन अवकाश को सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में लेने की अनुमति, इस शर्त के अधीन दी जा सकती है, कि ऐसा अवकाश सेवानिवृत्ति की तिथि तक के लिये हो तथा इसमें सेवानिवृत्ति तिथि शामिल हो।

(2) जहाँ शासकीय सेवक जो किसी स्थानीय निकाय अथवा निगम अथवा कम्पनी में अथवा उसके अधीन बाह्य सेवा पर हो जो पूर्ण रूप से अथवा अंशतः शासन द्वारा अंगीकृत अथवा नियंत्रित है अथवा शासन द्वारा नियंत्रित अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त है (इसमें इसके पश्चात् स्थानीय निकाय के रूप में निर्दिष्ट है) सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश को माँग करता है, अवकाश को स्वीकार करने अथवा नामंजूर करने का निर्णय राज्य शासन के अधीन उधार देने वाले प्राधिकारी की सहमति से बाह्य नियोजक द्वारा लिया जायेगा।

(3) जहाँ शासकीय सेवक उप-नियम (2) में उल्लेखित स्थानीय निकाय के अलावा किसी अन्य स्थानीय निकाय में अथवा उसके अधीन बाह्य सेवा में हो, तो उसे सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश की पात्रता तब होगी जब वह बाह्य नियोजक के अधीन सेवा से मुक्त होगा।

34. सेवानिवृत्ति, अनिर्धार्य सेवानिवृत्ति अथवा सेवा त्यागने की तिथि के बाद अवकाश— किसी शासकीय सेवक को निम्न अवधि के बाद अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा—

(क) उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि या

(ख) उसकी अंतिम रूप से कार्य विराम की तिथि, या

(ग) उसकी सेवा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, उसके द्वारा उसको दी गई सूचना के द्वारा सेवानिवृत्ति लेने अथवा शासन द्वारा उसको दी गई सूचना या ऐसी सूचना के एवज में दिये वेतन एवं भत्तों के आधार पर सेवानिवृत्ति करने की तिथि, या

(घ) उसकी सेवा से त्यागपत्र की तिथि।

35. सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्त व्यक्ति — सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्त व्यक्ति के प्रकरण में, इन नियमों के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि उसको पुनर्नियुक्त की तिथि पर शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति हुई हो।

36. अवकाश वेतन — (1) शासकीय सेवक जो अवकाश पर प्रस्थान करता है, को उसके अवकाश पर जाने के पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन की पात्रता होगी :


परन्तु यह कि, यदि कोई शासकीय सेवक भारत में बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए या किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रहते हुए या अपने मूल पद / संवर्ग में पदावनत होने पर बिना प्रत्यावर्तन पद पर कार्यभार ग्रहण किये हुए अर्जित अवकाश पर जाता है, तो उसे उस वेतन के बराबर अवकाश वेतन प्राप्त करने की पात्रता होगी, जो वह उसकी उच्च पद पर नियुक्ति को छोड़कर अर्जित अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व प्राप्त करता।

(2) अर्धवेतन अवकाश अथवा अदेय अवकाश में रहने पर शासकीय सेवक को उप-नियम (1) में निर्दिष्ट राशि के आधे के बराबर अवकाश वेतन की पात्रता होगी।

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 252/एल 2015-71-00406/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 27 मई, 2017
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, विलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़



विषय :- छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1985-अशदान और अनुरूपी बीमा राशि की दरों में 01 जुलाई, 2017 से वृद्धि
संदर्भ :- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 340/322/वि/नि/चार/03, दिनांक 29.4.2003

विषयातर्गत योजना की वर्तमान दरें दिनांक 1 जुलाई, 2003 से लागू हैं। उक्त दरों में वृद्धि का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन था। विभिन्न कर्मचारी संघों से विचारोपरांत शासन ने उक्त दरों में दिनांक 01 जुलाई, 2017 से 100 प्रतिशत वृद्धि करते हुए प्रति इकाई (यूनिट) की दर रुपये 60 करने का निर्णय लिया है। दिनांक 01 जुलाई, 2017 (जून 2017 का पेंशन जुलाई 2017 में देय) से निम्नानुसार संशोधित बीमा राशि की दरें निर्धारित की जाती हैं :-

समूह	कर्मचारी वर्ग	अभिदान प्रतिमाह	बीमा राशि
ए	प्रथम	रु. 480	रु. 4,80,000
बी	द्वितीय	रु. 360	रु. 3,60,000
सी	तृतीय	रु. 300	रु. 3,00,000
डी	चतुर्थ	रु. 180	रु. 1,80,000


2/ पूर्व की भांति अभिदान की प्रत्येक इकाई का 30 प्रतिशत भाग बीमा निधि और शेष 70 प्रतिशत भाग वचत निधि में जमा होगा। सेवानिवृत्त होने पर शासकीय सेवकों को उनकी वचत निधि खाते में जमा राशि का भुगतान व्याज सहित किया जाएगा। सेवा में रहते हुए शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार को बीमा राशि की पात्रता होगी और इसके अलावा इस योजना के तहत वचत निधि खाते में संचित राशि का भुगतान भी व्याज सहित किया जाएगा।

2-21-17
06/06/17

3/ दिनांक 1.7.2017 से अभिदान (बीमा निधि, बचत निधि) की बढ़ी हुए दरें उन सभी कर्मचारियों को अनिवार्य होगी जो वर्तमान में समूह बीमा योजना 1985 के सदस्य हैं, ऐसे शासकीय सेवकों को अभिदान की बढ़ी हुई दरें स्वीकार करने अथवा न करने का विकल्प की पात्रता नहीं होगी। ऐसे सभी शासकीय सेवक जो अभिदान की संशोधित दरों के अधिसूचित किये जाने के बाद सेवा में आते हैं वे भी अनिवार्य रूप से 1 जुलाई, 2017 से अभिदान (बीमा निधि, बचत निधि) की संशोधित दरों के साथ ही योजना में सम्मिलित होंगे। इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख के पश्चात् सेवा में आने वाले कर्मचारियों को शासकीय सेवा का कार्यभार संभालने की तारीख से 30 जून, 2017 तक वर्तमान में प्रभावशील दरों के अंतर्गत बीमा रक्षण राशि का लाभ दिया जायेगा।

4/ राज्य शासन की सेवा में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को यह लाभ प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वे छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1985 के सदस्य न होते हुए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के सदस्य हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस. के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

11. परिवार कल्याण निधि में जमा राशि की वापसी - वे शासकीय सेवक प्रारंभ में परिवार कल्याण निधि के सदस्य थे और बाद में केन्द्रीय/राज्य कर्मचारियों की समूह बीमा योजना, 1980 अथवा 1985 के सदस्य हो चुके हों, उनको परिवार कल्याण निधि में जमा राशि उस पर देय ब्याज सहित शासकीय सेवक को सेवा में रहते मृत्यु होने पर अथवा उसकी सेवा-निवृत्ति पर देय होगा।

12. आहरण का प्रपत्र एवं लेखा शीर्ष - परिवार कल्याण निधि का आहरण प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 76 पर किया जाकर उस पर निम्न लेखा शीर्ष अंकित किया जावे -

K - Deposits & Advances (a) Deposits bearing Interest, 8342 - Other Deposits. Misc. Deposits, M.P. Govt. Servant F.B.F. (out going).

13. जमा राशि पर ब्याज - जमा राशि पर ब्याज की दर निम्नानुसार निर्धारित है :-

14-10-1974 से 31-3-1993 तक — 7% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से

1-4-1993 से 31-12-2002 तक — 12% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से

1-1-2003 से 31-12-2003 तक — 9% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से

1-1-2004 से 30-11-2011 तक — 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से

1-12-2011 से 31-12-2016 तक — 8.6% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से

[वित्त विभाग क्र. 319/एल-5-1/12/वित्त/ब-4/चार, दिनांक 22-6-2012]

1-1-2017 से 31-3-2017 — 8.0% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से

[वित्त विभाग क्र. 1757/00121/संसा/ब-4/चार/2016, दिनांक 22-2-2017]

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि योजना 1974 के अंतर्गत जमा राशि की वापसी का गणना पत्रक :-

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 15(सी)/16/78/चार/नि-3/81 दिनांक 24-10-81 द्वारा परिवार कल्याण निधि में जमा राशि की वापसी का गणना पत्रक तथा इसके प्रयोग की विधि संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त गणना पत्रक कुल 420 माह के लिए था। राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि योजना के कुछ वर्तमान सदस्यों की सेवा अवधि 420 माह से अधिक हो गई है। अतः उनकी सेवानिवृत्ति पर उपरोक्त गणना पत्रक के आधार पर गणना संभव नहीं होगा।

अतः उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा 504 माह का पुनरीक्षित गणना पत्रक तैयार किया गया है। जो शासकीय कार्यालयों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराया गया है। गणना संबंधी अन्य प्रक्रिया एवं शर्तें उपरोक्त ज्ञापन दिनांक 14-10-81 के समान रहेंगी।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 115/395-स्था/वित्त/नियम/चार/2010, दिनांक 30-4-2010]

1. उद्देश्य - यह योजना शासकीय कर्मचारियों को कम लागत पर तथा अंशदायी और स्ववित्त पोषण आधार पर सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने पर परिवारों की सहायता के लिए वीना सुरक्षा तथा सेवा-निवृत्ति पर उनके परिवारों की सहायता के लिए एक मुश्त राशि के संदाय का दोहरा लाभ प्रदान करने के लिए आशयित है।

2. प्रयुक्ति - यह योजना मध्यप्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों (अपवादों के साथ) पर लागू होती है। (अब छत्तीसगढ़ राज्य में)

3. बीमा निधि तथा वचत निधि - इस योजना के अंतर्गत दो निधिवाँ हैं :- अभिदान का एक भाग बीमा निधि में तथा शेष भाग वचत निधि में जमा किया जाता है।

4. प्रभावशीलता - समूह बीमा एवं परिवार कल्याण निधि योजना दिनांक 1-7-85 से राज्य शासन के सभी कर्मचारियों के लिए लागू की। इसके पूर्व परिवार कल्याण निधि योजना, 1974, दिनांक 1-1-74 से प्रभावशील थी। जिन्होंने समूह बीमा योजना का चयन नहीं किया है, उनके विकल्प देने की अवधि को दिनांक 31-3-2004 तक बढ़ाई गई है। उक्त विकल्प के आधार पर जुलाई 2003 से विकल्प की तिथि तक बकाया अंशदान की राशि मुख्य शीर्ष-8011 बीमा और पेंशन निधिवाँ - 105 - राज्य सरकार बीमा निधि में तत्काल जमा कर मूल चालान की प्रति कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् ही विकल्प मान्य होगा। [वि.क्र. 49/322/वि/नि/चार/2003, दिनांक 15-1-2004]

5. सदस्यता - (1) समूह बीमा योजना सन् 1985 से सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्यतः लागू की गई है। जिन्होंने इस योजना के अधिसूचना के बाद शासन की सेवा में आये हैं या अधिसूचना के जारी होने के बाद शासकीय सेवा में आये समस्त कर्मचारी योजना के अगले वर्ष-दिवस को अनिवार्यतः इसके सदस्य बनेंगे।

(2) योजना के सदस्य के लिए प्रत्येक कर्मचारी को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा फार्म क्रमांक 2 में नामांकित तारीख को और उसके वेतन से अंशदान के रूप में की जाने वाली कटौती से सूचना दी जाएगी। इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाएगी। जो चार प्रतियों में बनाई जाएगी। एक प्रति शासकीय सेवक को एक प्रति संचालक, जीवन बीमा विभाग, ग्वालियर को एवं एक प्रति संबंधित विभागाध्यक्ष की ओर तथा एक प्रति सेवा पुस्तिका में चिपकायी जाएगी। [योजना का नियम 4(4)]

(3) योजना के वर्ष-दिवस से भिन्न किसी माह में सेवा में प्रविष्ट होने वाले कर्मचारियों के वेतन से वीमा सुरक्षा प्रीमियम (अंशदान की राशि का 30%) काटा जाना शुरू कर दिया जाएगा, जिससे मृत्यु की दशा में समुचित बीमा सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो सके। [योजना का नियम 6]

अनुकम्पा नियुक्ति के अद्यतन एकजाई निर्देश-2013 :-

1. निर्देशों की प्रभावशीलता—ये निर्देश दिनांक 14-06-2013 से प्रभावशील होंगे।
2. निर्देशों का विस्तार और उनका लागू होना—ये निर्देश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में लोक सेवा और पदों पर नियुक्ति किये गये समस्त व्यक्तियों पर लागू होंगे।
3. दिवंगत शासकीय सेवक से तात्पर्य—दिवंगत शासकीय सेवक से तात्पर्य ऐसे नियमित शासकीय सेवक से है, जो नियमित शासकीय सेवक के रूप में कार्यरत रहा हो अथवा आकास्मिक सेवा/कार्यभारित स्थापना का नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी रहा हो एवं सेवाकाल के दौरान जिसका असामयिक निधन/आत्महत्या द्वारा निधन हो गया हो।
4. अनुकम्पा नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी—अनुकम्पा नियुक्ति के लिए वही अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होगा, जो सामान्य परिस्थितियों में यथास्थिति तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी, जैसा प्रकरण हो, के पदों पर नियुक्ति के लिए सक्षम हो।
5. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवार—दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के निम्नलिखित वयस्क सदस्यों में से किसी एक सदस्य को नीचे दर्शित क्रमानुसार अर्थात् (क) के अस्वीकार करते पर या पात्र न होने पर (ख) को एवं उसके परचात् इसी अनुक्रम में आगे (ग), (घ) एवं (ङ) की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु क्रमशः विचार किया जायेगा:—
 - (क) दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा/विधुर,
 - (ख) पुत्र/दत्तक पुत्र,
 - (ग) (अविवाहित) * पुत्री/अविवाहित दत्तक पुत्री,
 - (घ) आश्रित विधवा पुत्री/आश्रित दत्तक विधवा पुत्री,
 - (ङ) आश्रित तलाकशुदा पुत्री/आश्रित तलाकशुदा दत्तक पुत्री, एवं
 - (च) पुत्रवधु**
6. अविवाहित शासकीय सेवक का निधन होने पर अनुकम्पा नियुक्ति—ऐसे शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर, जो अविवाहित है (अथवा विधुर है और उसके कोई पुत्र/पुत्री नहीं है) तो ऐसे दिवंगत शासकीय सेवक के (माता/पिता की अनुशंसा पर) (भाई/अविवाहित बहन)*** को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी।

* परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 22-3-2016 द्वारा शब्द "अविवाहित" को विलोपित किया गया।

** परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 30-4-2016 द्वारा जोड़ा गया।

*** परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 22-3-2016 द्वारा शब्द "भाई/अविवाहित बहन" के स्थान पर शब्द "भाई/बहन" प्रतिस्थापित किया गया है।

-: 148 :-

"परन्तु मृतक शासकीय सेवक के परिवार में यदि पूर्व से ही परिवार का कोई अन्य सदस्य शासकीय सेवा में है, तो परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

6(अ) दिवंगत विवाहित शासकीय सेवक के परिवार में यदि पूर्व से ही परिवार का कोई अन्य सदस्य शासकीय सेवा में है, तो परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।**

**स्पष्टीकरण—दिवंगत विवाहित एवं अविवाहित शासकीय सेवकों के परिवार के आश्रित सदस्य में निम्नलिखित सदस्य शामिल हों:—

- (अ) विवाहित शासकीय सेवक के मामले में—आश्रित माता, पिता, विधवा पत्नी/विधुर पति, पुत्र एवं पुत्री (इनमें एक पुत्र/पुत्री, विधवा/तलाकशुदा पुत्री शामिल हैं) तथा पुत्रवधु।
- (ब) अविवाहित शासकीय सेवक (अथवा विधुर जिसके कोई पुत्र/पुत्री नहीं है) के मामले में—आश्रित माता, पिता, भाई एवं बहन।

7. अनुकम्पा नियुक्ति के पद—(1) किसी भी मामले में अनुकम्पा नियुक्ति केवल तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के निम्नतम नियमित पदों के विरुद्ध ही दी जाएगी यथा- सहायक ग्रेड-3, शिक्षाकर्मी, वार्ड बॉय, वनरक्षक, पत्रवा, पंजीयक लिपिक आदि तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में भृत्य अथवा उसके समकक्षीय पद। परन्तु ऐसे कार्यपालिक पदों पर जिन पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग की अनुशंसा परचात् किये जाने की व्यवस्था है, अनुकम्पा नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।

(2) कार्यभारित एवं आकास्मिक वेतनमान के पदों पर नियमित रूप से कार्यरत शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर नियुक्ति संबंधित स्थापना (कार्यभारित एवं आकास्मिकता वेतनमान) में उक्तानुसार पदों पर की जा सकेगी। खिलाड़ी कोटे के आरक्षित रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जाएगी।

(3) चतुर्थ श्रेणी के दिवंगत कर्मचारों के परिवार के सदस्य को भर्ती नियम में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता की पूर्ति करने पर तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी।

8. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पदों की गणना एवं पदों का सीमा बंधन—(1) अनुकम्पा नियुक्ति सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पद पर गणना में स्वीकृत कुल पदों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं की जाएगी।

(2) तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु 10 प्रतिशत का सीमा बंधन इस

* परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 29-8-2016 द्वारा उक्त परन्तुक एवं कंडिका 6(अ) जोड़ी गई।

** परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 30-8-2016 द्वारा उक्त स्पष्टीकरण जारी किया गया।

20

E-mail


कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
(फोन - 0771-2636413 फैक्स - 0771-2263412)
(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक-542/162/आउशि/अराज.स्था/2018

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 9/10/2018

प्रति,

प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़



विषय :- सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक की मृत्यु के अनुकंपा नियुक्ति के संबंध
जानकारी बाबत

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 644/254/81/आउशि/अराज.स्था/2016
दिनांक 16.11.2017.

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत, संदर्भित पत्र द्वारा महाविद्यालय में कार्यरत शासकीय सेवक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित परिवार के सदस्य को छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3, दिनांक 14.08.2013 एवं दिनांक 31.12.13, 13.10.15, 22.03.16, 30.04.16, 07.06.16, 29.08.16, 30.08.16, 13.10.17, 1.8.2018 एवं समय-समय पर जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में अपने स्तर पर कार्यवाही करने हेतु लिखा गया था।

प्रायः देखा जा रहा है कि महाविद्यालय में पद रिक्त होने पर भी प्राचार्य द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया जाता है, जबकि पद रिक्त न होने की स्थिति में ही प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त परिपत्रों में दिए गये निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करे, निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे।

स्थापना शाखा / निर्देशित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय में अनुकंपा नियुक्ति के यदि प्रकरण लम्बित हों तो कृपया अद्यतन जानकारी दिनांक 18.10.2018 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10-10-18
आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित

अपर संचालक(एच)
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

1. **प्रभावशील** - इस योजना का नाम शासकीय वाहन चालक दुर्घटना बीमा योजना, 1993 है तथा यह योजना दिनांक 1 फरवरी, 1993से प्रभावशील है।

2. **पात्रता** - जो दिनांक 1-2-93 को सेवा में थे तथा इस तिथि के पश्चात्, जो सेवा में प्रवेश करेंगे, को लागू होगी :-

- (अ) नियमित सेवा के समस्त कर्मचारी,
- (ब) बाह्य सेवा अथवा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये कर्मचारी,
- (स) छत्तीसगढ़ संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीगण।

3. **योजना का लाभ** - मृत शासकीय सेवक के नामांकित सदस्य को या उसके कानूनी वारिस को रु. 25,000/- का एकमुश्त भुगतान।

इस योजना के अधीन देय लाभ शासकीय परिवार कल्याण निधि अथवा समूह बीमा योजना के लाभ के अतिरिक्त होगा।

4. **अंशदान** - अलग से कोई अंशदान देने की आवश्यकता नहीं। भुगतान निम्न शीर्ष से किया जायेगा :-

“Refund of contribution ‘K’ – Deposits and Advances (a) Deposits bearing interest – 842 – Other Deposits – Miscellaneous Deposits – Madhya Pradesh Government Servants Family Benefits Fund (Outgoing)”.

5. **किन परिस्थितियों में देय** - शासकीय वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन चालक तथा उस पर सवार अन्य शासकीय सेवकों की मृत्यु होने पर।

6. **प्रशासकीय नियंत्रण** - संचालक जीवन बीमा विभाग का।

[वित्त विभाग क्रमांक एफ-15 (सी) 2/93/नि-3/चार, दिनांक 5-3-1993]

टिप्पणी - यह योजना कार्यभारित एवं आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालकों के लिये भी लागू की गई है।

[वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 15 (सी) 27/95/ई/चार, दिनांक 5-5-1999]

शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के लिए अनुग्रह राशि (अनुदान) स्वीकृत करने बाबत :-

शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान स्वीकृत करने की पात्रता एवं अनुदान की सीमा के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 में मूल वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन (यदि कोई हो तो) के छः गुना के बराबर अधिकतम रुपये 25,000/- की सीमा के अधीन अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

2. छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 लागू होने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा संदर्भित सभी ज्ञापनों को अतिक्रमित करते हुए अनुग्रह अनुदान की दरों में इन वेतनमानों के आधार पर पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार शासकीय कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को चार माह के मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन+ग्रेड वेतन) के बराबर अनुग्रह अनुदान, रुपये 35,000/- अधिकतम की सीमा के अधीन, की पात्रता होगी।

3. अनुग्रह अनुदान की पात्रता राज्य शासन की नियमित सेवा में कार्य करने वाले सभी स्थाई कर्मचारी तथा एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अस्थाई एवं कार्यभारित तथा आकस्मिकता स्थापना के कर्मचारियों को होगी।

4. उपरोक्त क्रमांक 3 के अनुसार पात्र कर्मचारियों को अनुग्रह अनुदान निम्नांकित स्थितियों में देय होगी :-

- (अ) जब वह कर्तव्य पर हो,
- (ब) जब वह अवकाश पर हो,
- (स) भारत शासन द्वारा नियंत्रित किसी संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर हो,
- (द) शासन द्वारा किसी प्रशिक्षण हेतु भेजा गया हो,
- (इ) कार्य ग्रहण काल में हो,

टीप- शासकीय कर्मचारी द्वारा की गई आत्महत्या को भी इस उद्देश्य के लिये नैसर्गिक मृत्यु माना जायेगा। ड्यूटी से घर लौटते हुए दुर्घटना से या अन्य कारण से रास्ते में मृत्यु होने तथा सार्वजनिक अवकाश की अवधि में मृत्यु होने पर भी इसकी पात्रता होगी।

5. अनुग्रह अनुदान की पात्रता निम्न कर्मचारियों को नहीं होगी -

- (अ) अधिवार्षिकी आयु के पश्चात्,

29

छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955

छत्तीसगढ़ शासन ने वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. 134/391/वित्त/नि./चार/2001 दिनांक 2-3-2002 के द्वारा जारी वित्त निर्देश 2002/6 में स्पष्ट किया है कि सामान्य भविष्य निधि खातों के उचित रख-रखाव हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिए दिग्दर्शिका एवं आहरित बैंक के माध्यम से भुगतान होगा।

सामान्य भविष्य निधि : आहरण एवं संवितरण अधिकारियों हेतु दिग्दर्शिका

भाग 1 : सामान्य भविष्य निधि नियमों का संक्षिप्त विवरण

1. संक्षिप्त परिभाषाएँ :-

- ये नियम छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम कहे जाते हैं। [नियम 1]
- इन नियमों में "लेखा अधिकारी" से तात्पर्य महालेखाकार मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है। [नियम 2-ए]
- परिवार का अर्थ -
 - पुरुष अंशदाता के मामले में पत्नी अथवा पत्नियाँ और बच्चे तथा अंशदाता के मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवायें तथा बच्चे।
 - महिला अंशदाता के मामले में, पति तथा अंशदात्री के बच्चे तथा अंशदात्री के मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवायें तथा बच्चे।

बच्चों का यहाँ अर्थ है - वैध बच्चे।
दत्तः बच्चे को बच्चे के अर्थ में तब माना जायेगा, जबकि अंशदाता की वैयक्तिक विधि के अंतर्गत बच्चे को प्राकृतिक रूप से उत्पन्न बच्चे का दर्जा प्रदान करते हुये दत्तक लेना विधितः मान्य है।
- निधि - निधि का अर्थ है छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि।
- विभाग प्रमुख - विभाग प्रमुख का अर्थ है किसी विभाग का प्रमुख।
- अवकाश - अवकाश का अर्थ है सेवा नियमों अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बनाये जाकर अंशदात्री पर लागू किये गये कोई भी नियम समूह के अंतर्गत अवकाश।
- वर्ष - वर्ष का अर्थ है वित्तीय वर्ष। [नियम 2 सी से जी]
- परिलब्धियाँ - वेतन परिलाभ में वेतन, अवकाश वेतन अथवा निर्वाह अनुदान,

-: 336 :-

छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955

337

- जैसा कि सेवा नियमों में परिभाषित है तथा बाह्य सेवा के संबंध में वेतन के प्रकार का प्राप्त कोई पारिश्रमिक सम्मिलित है। [नियम 2(i)(बी)]
- ब्याज - शासन अंशदाता के खाते में उस दर से ब्याज देगा जो कि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित गणना विधि से प्रत्येक वर्ष के लिये राज्य शासन द्वारा तय की जाती है। [नियम 14(i)]
- #### 2. सामान्य भविष्य निधि की सदस्यता की शर्तें एवं अनिवार्यता :-
- जो ठेके पर या पुनर्नियुक्ति पर हैं को छोड़कर, समस्त शासकीय कर्मचारी जिनकी सेवा शर्तें तय करने में छत्तीसगढ़ शासन सक्षम हो निधि में अंशदान हेतु पात्र होंगे। [नियम 4]
 - वे समस्त शासकीय कर्मचारी जो नियम 4 के अंतर्गत निधि हेतु अंशदान के पात्र हैं, निधि के अनिवार्य अंशदाता होंगे।
 - परन्तु छत्तीसगढ़ शासन शासकीय कर्मचारी की किसी निर्दिष्ट श्रेणी को इस नियम की प्रभावशीलता से मुक्त कर सकता है।
- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी कि समस्त अनिवार्य अभिदाता निधि में इन नियमों के अधीन निर्धारित न्यूनतम दर परिलब्धियों के बारह प्रतिशत (12%) से कम अंशदान नहीं दे रहा है। [नियम 5]
- #### 3. अंशदाता के लेखा का रख-रखाव :-
- प्रत्येक अंशदाता के नाम से महालेखाकार कार्यालय में खाता खोला जायेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाये जायेंगे :-
- अंशदाता का अंशदान।
 - नियम 14 के उपनियम (2) में दिये गये नियमानुसार अंशदान पर अर्जित ब्याज।
 - नियम 14-A के अनुसार निर्धारित बोनस।
 - निधि में से अग्रिम उधार और आहरित की गई धन राशि। [नियम 9]
- #### 4. अभिदाता को खाता क्रमांक आबंटन :-
- महालेखाकार कार्यालय द्वारा अंशदाता का लेखा खोलने हेतु सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आबंटित किया जाता है। जैसे ही कोई अंशदाता नियम 4 के अंतर्गत निधि में अंशदान की पात्रता रखता है, आचरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा उस अंशदाता को खाता आबंटन हेतु निर्धारित प्ररूप में आवश्यक जानकारी भर प्रतिवेदन के सभी कालम की जांच विभागीय अभिलेख से सत्यापित करने के पश्चात् महालेखाकार कार्यालय को खाता आबंटन हेतु अग्रैपित किया जाना चाहिये। खाता क्रमांक के तीन भाग होते हैं :-

8. यदि उक्त भूमि का उपयोग विहित प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि, उस पर निर्मित भवनों एवं सम्पत्तियों के साथ, शासन में निहित हो जावेगी और आबंटितियों को उसका मुआवजा देय नहीं होगा।
9. शासन के प्रतिनिधि/अधिकृत व्यक्ति, कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग, तथा रातों के पालन का निरीक्षण करने के लिये कभी भी भूमि एवं उस पर निर्मित परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा।
10. आबंटन के पूर्व वन संरक्षण अधिनियम तथा संबंधित विभागों के अधिनियम, नियम, निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. आवेदक संस्था से प्रब्याज एवं भू-भाटक की संपूर्ण राशि आबंटन आदेश जारी होने की तिथि से छःमाह के अंदर जमा करायी जावे। आबंटिती द्वारा निर्धारित छःमाह की समयावधि में प्रब्याज एवं भू-भाटक की संपूर्ण राशि जमा नहीं किये जाने की स्थिति में आबंटन आदेश की तिथि से प्रब्याज एवं वार्षिक भू-भाटक पर 12% वार्षिक ब्याज लिया जाकर, संपूर्ण प्रब्याज एवं वार्षिक भू-भाटक की राशि जमा करायी जावे। यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। आबंटिती द्वारा उपरोक्त दो वर्ष की समयावधि में राशि जमा नहीं करने पर आबंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग क्र. एफ 4-22/सात-1/2017, दिनांक 26-07-2017]

छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6/19/गृह/02 दिनांक 5-8-2002 द्वारा इस विधि का अनुकूलन किया गया है जो मध्यप्रदेश में लागू था। जहाँ पर म.प्र. और भोपाल होगा वहाँ पर छत्तीसगढ़ एवं रायपुर क्रमशः पढ़ा जाये। यह राजपत्र दिनांक 20-9-2002 में प्रकाशित है।

1. विशिष्ट श्रेणियाँ- छ.ग. राज्य शासन रायपुर स्थित आवासों को किन्हीं विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों को आबंटन करने के लिए पृथक पुल स्थापित कर सकेगा। वर्तमान में निम्न प्रकार के पुल होंगे -

- (क) सामान्य पूल,
- (ख) न्यायिक अधिकारियों के लिए पूल,
- (ग) विधान सभा अध्यक्षीय पूल,
- (घ) विशिष्ट सेवाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये पूल,
- (ङ) प्रेस पूल पत्रकारों के लिये।

2. सामान्य पूल में शासकीय आवास - गृह दो प्रकार के होते हैं -

- (i) सामान्य पूल के, एवं
- (ii) विभागीय

सामान्य पूल के शासकीय आवास-गृहों का आवंटन जिला मुख्यालय पर स्थित आवास-गृहों का आवंटन जिलाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। आवंटन इस हेतु गठित समितियों की अनुशंसाओं पर किया जाता है। जहाँ विभागीय आवास-गृह अलग से है उनका आवंटन उस विभाग के प्रमुख अधिकारी द्वारा किया जाता है।

3. आवास गृहों की पात्रता - रायपुर में निवास स्थान आवंटन के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास-गृहों की पात्रता निम्नानुसार है -

निवास स्थानों के प्रकार	वेतन सीमा
“बी”	22400 रु. तथा उससे अधिक राजपत्रित अधिकारियों के लिए
“सी”	18400 रु. से 22400 रु. तक राजपत्रित अधिकारियों के लिए
“डी”	12750 रु. से 18399 रु. तक राजपत्रित अधिकारियों के लिए
“ई”	10000 रु. से 12749 रु. तक राजपत्रित अधिकारियों के लिए
“एफ”	6500 रु. से 9999 रु. तक राजपत्रित अधिकारियों के लिए
“जी”	4500 रु. से 6499 रु. तक अराजपत्रित अधिकारियों के लिए
“एच”	3050 रु. से 4499 रु. तक राजपत्रित अधिकारियों के लिए
“आई”	समस्त बतुर्ग श्रेणी कर्मचारियों के लिए